

मध्यप्रदेश अधिनियम
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
[क्रमांक 22 सन् 1973]

[दिनांक 20 अप्रैल, 1973 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र"
(असाधारण) में दिनांक 23 अप्रैल, 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]
मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित
करने एवं उन विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन के लिये
अधिक अच्छा उपबंध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :-

पहला अध्याय – प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।
- (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. निरसन तथा व्यावृत्ति

धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गई तारीख (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में तथा धारा 3 में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(एक) प्रथम अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियाँ निरस्त हो जायेंगी [जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में तथा धारा 3 में निरसित अधिनियमितियों के नाम से निर्दिष्ट है];

(दो) निरसित अधिनियमितियों के अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय समझे जायेंगे तथा वे उन संबंधित विश्वविद्यालयों के नामों से जाने जायेंगे जिनका अपना-अपना मुख्यालय ऐसे स्थान पर है तथा जिनकी अपनी-अपनी प्रादेशिक अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जो कि द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(तीन) खंड (दो) में निर्दिष्ट किये गये संबंधित विश्वविद्यालयों की समस्त आस्तियाँ तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों में निहित हो जायेंगे;

(चार) ऐसे समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ जो निरसित अधिनियमितियों के अधीन संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित की गई हों, इस

अधिनियम के अधीन उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा या उनके विरुद्ध चालू रखी जा सकेंगी;

(पांच) निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई समस्त नियुक्तियाँ, जारी की गई समस्त अधिसूचनाएँ तथा जारी किये गये समस्त आदेश प्रदान की गई समस्त उपाधियाँ, जारी किये गये समस्त उपाधिपत्र या समस्त प्रमाणपत्र, प्रदान किये गये समस्त विशेषाधिकार, या की गई समस्त अन्य बातें, जो पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः की गई, जारी किये गये, प्रदान की गई, जारी किये गये, प्रदान किये गये या की गई समझी जायेंगी;

(छः) ऐसे समस्त परिनियम (स्टेट्यूट्स)/प्रविधान, अध्यादेश तथा विनियम/प्रबंध-नियम, जो संबंधित विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निरसित अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये हों और पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन संबंधित विश्वविद्यालयों के समुचित प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम समझे जायेंगे:

परन्तु वे परिनियम (स्टेट्यूट्स)/प्रविधान तथा अध्यादेश, जो इस रूप में समझे गये हों यथास्थिति नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने पर या धारा 34 के अधीन बनाये गये प्रथम परिनियमों तथा अध्यादेशों के प्रवृत्त होने की तारीख से, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त नहीं रहेंगे;

(सात) वे समस्त कर्मचारी, जो नियत तारीख से, अव्यवहित पूर्व, खंड (दो) में निर्दिष्ट किये गये संबंधित विश्वविद्यालयों के हों या उनके नियन्त्रणाधीन हों, उन्ही निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख के पूर्व उनको लागू हों, जब तक कि वे इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार, परिवर्तित न कर दी जायें उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों के कर्मचारी समझें जायेंगे;

(आठ) खंड (दो) में निर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों के समस्त अभिलेख तथा कागजपत्र इस अधिनियम के अधीन उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों में निहित हो जायेंगे

3. अस्थायी उपबंध

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(एक) वह कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद पर बना हुआ हो, संबंधित निरसित अधिनियमों के अधीन विहित की गई अवधि तक पद पर बना रहेगा; परन्तु ऐसा कुलपति, जिसने नियत तारीख को या उसके पूर्व चौसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसी कालावधि तक, जैसी कि कुलाधिपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, पद पर बना रहेगा किन्तु ऐसी कालावधि, सुसंगत निरसित अधिनियमिति के अधीन उसकी पदावधि के शेष भाग से अधिक नहीं होगी;

(दो) संबंधित विश्वविद्यालयों के वे प्राधिकारी, समितियाँ या निकाय, जो निरसित अधिनियमितियों के अधीन गठित किये गये हो, उस समय तक कृत्य करते रहेंगे

जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनका पुनर्गठन न हो जाय, किन्तु ऐसी कालावधि पूर्वोक्त तारीख से एक वर्ष के काल से अधिक नहीं होगी; (तीन) किन्हीं ऐसे प्राधिकारियों के आजीवन सदस्य ऊपर खंड (दो) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर उस रूप में नहीं रहेंगे यदि वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस रूप में न बनाये रखे जायें।

4. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(एक) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;

(दो) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजातियाँ;

(तीन) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जातियाँ;

¹ [(तीन-क) लुप्त]

(चार) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय का अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी वृन्द आता है;

(पांच) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(छः) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(सात) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या कुलाधिपति;

(आठ) "छात्र निवास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों के लिये निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था की गई हो; जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया हो या मान्यता दी गई हो;

(नौ) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम/प्रविधान, अध्यादेश तथा विनियम/प्रबंध नियम, जैसी भी की दशा हो;

(दस) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रधान और जब कोई प्राचार्य न हो तो उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय सम्यकरूपेण नियुक्त किया जाय;

(ग्यारह) "प्राध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है उच्चतर विद्या तथा गवेषणम के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था;

(बारह) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन संधारित किया जाता हो या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हो;

(तेरह) "महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है महाविद्यालय के किसी विभाग का अध्यक्ष;

(चौदह) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा गया स्नातक;

(पन्द्रह) "विद्या-परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद्;

(सोलह) "विभाग" से अभिप्रेत है प्राध्ययन विभाग और उसके अन्तर्गत आता है अध्ययन केन्द्र (सेण्टर ऑफ स्टडीज);

²[(सत्रह) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है—

(एक) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा गया तथा द्वितीय अनुसूची के भाग एक में विनिर्दिष्ट किया गया विश्वविद्यालय; और

(दो) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् स्थापित किया जाने वाला तथा द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किया गया विश्वविद्यालय']

(अठारह) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 (क्रमांक 3 सन् 1956) के अधीन स्थापित किया गया आदेश;

(उन्नीस) "विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किये गये किसी अध्यापन विभाग का अध्यक्ष ओर उसके अन्तर्गत आता है किसी ऐसे संस्थान (इन्स्टीट्यूट) का, जो कि गवेषणा-कार्य में अभिवृद्धि करने के लिये या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, संचालन या किसी ऐसे महाविद्यालय का, जो कि गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिये या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, प्राचार्य;

(बीस) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), ³[.....] प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषधिकार दिये गये हों शिक्षण देने के लिये या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिये नियुक्त किये गये हों;

(इक्कीस) "विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संसक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का कोई कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का या महाविद्यालय के प्रबंधक वर्ग (मैनेजमेंट) का कोई सदस्य;

(बाईस) "स्वशासी महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह शिक्षण संस्था जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित की गई हो;

(तेईस) "संकाय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कोई संकाय;

(चौबीस) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हो;

(पच्चीस) "सभा" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट);
(छब्बीस) "समन्वय समिति" से अभिप्रेत है धारा 34 के अधीन गठित की गई समन्वय समिति।

दूसरा अध्याय – विश्वविद्यालय

5. विश्वविद्यालय का निगमन

(1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति और उस विश्वविद्यालय की सभा के, उस विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के तथा उस विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् के सदस्यों से विश्वविद्यालय गठित होगा और इस प्रकार गठित विश्वविद्यालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये संबंधित विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा।

⁴[1-क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् स्थापित और द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और उस विश्वविद्यालय की सभा, कार्य-परिषद् तथा विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो एतदपश्चात् उसके अधिकारी या सदस्य बने उस समय तक जब तक कि वे ऐसे पद पर या ऐसे सदस्य बने रहे, एतद्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट संबंधित विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाता है।]

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायेगा;

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो कि उसमें निहित हो गई हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा अर्जित की गई हो पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने तथा संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो, करने के लिये सक्षम होगा।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये स्थान पर रखा जायेगा।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय समय पर अवधारित करे, शिक्षण के लिये व्यवस्था करना और गवेशणा कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रचार के लिये व्यवस्था करना;

(2) उन व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य न हो, शिक्षण जिसके अन्तर्गत आते हैं पत्राचार तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जिन्हे कि वह अवधारित करे, देने के लिये व्यवस्था करना;

⁵[परन्तु विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देने की व्यवस्था ⁶[राज्य सरकार]]की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा]।

(3) अध्यापन तथा गवेषणा के लिये विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य साज-सज्जा का आयोजन करना;

(4) महाविद्यालयों, अध्यापन-विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्र निवासों को स्थापित करना, संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना;

(5) (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आचार्य पद ⁷[उपाचार्य पद] प्राध्यापक पद तथा विद्या संबंधी कोई अन्य पद या कोई अन्य अध्यापन पद, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(ख) उन व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हों, विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये नियुक्त करना;

(6) अध्यापकों को इस रूप में मान्यता देना कि वे महाविद्यालयों में शिक्षण देने के लिये अर्हित है;

(7) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजनों से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में पथप्रदर्शन करें;

(8) विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षण-क्रम अधिकथित करना;

(9) उपाधियों, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ संस्थित कराना;

(10) ऐसी शर्तों के, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अध्यधीन रहते हुए परीक्षाओं, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि पत्र देना और उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी उपाधि तक पहुँचाने वाली परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसी परीक्षा के लिये ऐसा विषय लिया हो, जिसके लिये प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया हो, ऐसा कार्य किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या किसी प्राध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालय में पूरा न कर लिया हो तथा जब तक कि वह उस कार्य के इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष या उस महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रमाण-पत्र पेश न कर दें:

परन्तु किसी व्यक्ति को :-

(एक) विज्ञान संकाय में की किसी भी ऐसी परीक्षा में, जो कि विज्ञान स्नातक की उपाधि तक या गणित में विज्ञान-अधिस्नातक (मास्टर आफ साइन्स) की उपाधि तक पहुँचाने वाली परीक्षा से भिन्न हो;

(दो) कला संकाय, समाज विज्ञान, संकाय तथा वाणिज्य संकाय से भिन्न संकायों में की किसी भी परीक्षा में;

तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग, किसी प्राध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन न किया हो :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा; स्त्री अभ्यर्थियों को किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग, किसी प्राध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का अध्ययन किये बिना विधि-संकाय में की स्नातक की उपाधि तक पहुँचाने वाली परीक्षा में प्रवेश दिये जाने की अनुज्ञा दे सकेगी;

(11) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन गवेषणा कार्य किया हो, उपाधि तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(12) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारण से प्रत्याहरण करना;

(13) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियाँ या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(14) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित न हों, ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे उपाधिपत्र तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना जैसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(15) उस रीति में तथा उन शर्तों के अधीन, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की गई हो, उन महाविद्यालयों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों, अपने विशेषाधिकार देना, इन समस्त विशेषाधिकारों का या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना और महाविद्यालयों का प्रबंध ग्रहण करना;

(16) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित करना:

परन्तु स्वायत्तता, जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्यापन विभाग, प्रत्येक ऐसे अध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये तथा वे विषय, जिनके संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं;

(17) विश्वविद्यालय द्वारा मान्य महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में अध्यापन तथा गवेषणा कार्य का संचालन करना, समन्वय करना, विनियमन करना तथा नियंत्रण करना;

(18) परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई रीति में उन छात्र निवासों को जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों, मान्यता देना तथा किसी ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(19) महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय करना कि उनमें शिक्षण अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाये रखा जाता है;

(20) समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के शैक्षणिक हित को विशेष सतर्कता के साथ संप्रवर्तित करना।

(21) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों के लिये पुनःसद्यक पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशर कोर्सेस) तथा अवकाश पाठ्यक्रमों (वेकेशन कोर्सेस) की सुविधाएं देना;

(22) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें/जिसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करे अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग तथा सहकार करना;

(23) स्वतः ही या अन्य विश्वविद्यालयों या राज्य सरकार या संघ सरकार के सहयोग से हिन्दी के अध्ययन के सम्वर्तन तथा विकास के लिये उपाय करना;

(24) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना :-

(क) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा;

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम;

(ग) शारीरिक प्रशिक्षण;

(घ) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(ङ) समाज सेवा स्कीमें;

(च) राष्ट्रीय केडेट कोर;

(छ) विद्यार्थी संघ;

(25) उन सेवाओं के लिये जो संघ या राज्य सरकार के अधीन हों प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण की तथा अन्य प्रशिक्षण की, जो राष्ट्रीय विकास में सहायक हो, व्यवस्था करना;

(26) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :-

(क) सूचना ब्यूरो;

(ख) नियोजन ब्यूरो; और

(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग और अनुवाद ब्यूरो।

(27) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के हेतु इन्तजाम करना;

(28) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाएं, मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(29) ऐसी फीस तथा ऐसे अन्य प्रभार, जो महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे या वसूल किये जा सकेंगे, विहित करना तथा उनका नियंत्रण करना;

- (30) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियों करना;
- (31) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियंत्रण रखना;
- (32) न्यासों तथा विन्यासों (एण्डाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियों (फैलोशिप्स) छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एग्जीविशन्स), वजीफे (वर्सरीज); पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित प्रदान करना;
- (33) संदन तथा अनुदान प्राप्त करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निधियों विनिहित करना;
- (34)⁸[राज्य सरकार] के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय संपत्ति को प्रतिभूति पर धन उधार लेना;
- (35) विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदण्ड, जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है, अवधारित करना;
- (36) स्त्री विद्यार्थियों की दशा में ऐसे विशेष इन्तजाम करना जिन्हें कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (37) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिये इन्तजाम करना;
- (38) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये अपेक्षित हों, करना।

7. प्रादेशिक अधिकारिता

- (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय की इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार, समय समय पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई प्रादेशिक अधिकारिता की सीमाओं से परे नहीं होगा :

परन्तु राज्य सरकार विश्वविद्यालय को इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी कि वह राज्य के भीतर पूर्वोक्त सीमाओं के बाहर स्थित महाविद्यालयों को इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अनुसार सहयुक्त करे या उन्हें अपने विशेषाधिकारों में से कोई भी विशेषाधिकार दे:

⁹[परन्तु यह और भी कि जहाँ विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देने के लिये व्यवस्था करता है, वहाँ इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह पूर्वोक्त सीमाओं के बाहर निवास करने वाले विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षण क्रम में प्रवेश देने से विश्वविद्यालय को विवर्जित करती है:]

¹⁰[परन्तु यह भी कि प्राच्य (ओरियंटल) संस्कृत शिक्षा देने के लिये मध्यप्रदेश में प्राच्य (ओरियंटल) संस्कृत शिक्षा देने वाले किसी संस्कृत

महाविद्यालय को या तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से या किसी अन्य ऐसे विश्वविद्यालय से, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करें, सम्बद्ध किया जायेगा]।

^{10-अ} परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, इस निमित्त बनाये गए नियमों के अनुसार, मध्यप्रदेश में किसी विश्वविद्यालय को मध्यप्रदेश राज्य के बाहर या विदेश में किसी संस्था के सहयोग से अपने किसी भी अध्यापन या गवेषणा क्रियाकलापों को भागतः या पूर्णतः चलाने के लिये अनुज्ञा दे सकेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमाओं के भीतार स्थित किसी भी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था को भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रीति में सहयुक्त नहीं किया जायेगा ओर न उसके कोई विशेषाधिकार ही दिये जायेंगे और विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के पूर्व किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा उन सीमाओं के भीतर की किन्हीं शिक्षण संस्थाओं को प्रदान किये गये कोई ऐसे विशेषाधिकार ऐसी स्थापना हो जाने पर प्रत्याहरित किये गये समझे जायेंगे।

¹¹[उपधारा (2-क), (2-ख), (2-ग) और (2-घ) लुप्त]

(3) इस धारा की कोई भी बात उन महाविद्यालयों या अन्य शिक्षण संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी जो :-

(क) अन्य रूपेण कृषि तथा सम्बद्ध विद्वानों में शिक्षण दे रही हों और जिन्हें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एक्ट, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) के अधीन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गये हों या जिनके संबंध में यह समझा जाये कि उन्हें उक्त विशेषाधिकार मिल गये हैं; [और]¹²

(ख) अनन्यरूपेण संगीत तथा ललितकलाओं में या उनमें से किसी में भी शिक्षण दे रही हों, और जिन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एक्ट, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) के अधीन खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गये हों या जिनके संबंध में यह समझा जाये कि उन्हें उक्त विशेषाधिकार मिल गये हैं;¹³[X X]

(ग)¹⁴[X X X]

8. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध

विश्वविद्यालय इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने में या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कृत्यों का पालन करने में; धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, राजनैतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर, भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा।

9. विश्वविद्यालय में अध्यापन

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी, तथा पाठ्यक्रम एवं

पाठ्यचर्या ऐसी होगी/ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति परिनियमों, अध्यादेशों या नियमों द्वारा विहित किया जाये।

10. विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण

(1) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें/ जिसे कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों कर्मशालाओं तथा साजसज्जा का और किसी महाविद्यालय या संस्था का, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हों, तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा, तथा विश्वविद्यालय; महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें/जिसे कि वह निर्देश दे; विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साज-सज्जा का और किसी महाविद्यालय या संस्था का, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हों, तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किये गये, अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवायेगा तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवायेगा।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना:-

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय या संस्था के संबंध में जानी हो/ किया जाना हो।

(ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधक वर्ग को देगा, यदि वह निरीक्षण या जांच किसी ऐसे महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था के संबंध में, जिसे कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, की जानी हो/किया जाना हो,

और यथास्थिति विश्वविद्यालय या प्रबंध वर्ग एक प्रतिनिधि जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के समय उपस्थित रहे तथा उस समय उसकी सुनवाई की जाये, नियुक्त करने का हकदार होगा।

(3) ऐसा व्यक्ति ऐसी निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलाधिपति के माध्यम से, यथास्थिति कार्यपरिषद् या उक्त कार्य प्रबंधक- वर्ग, को संसूचित करेगा तथा उस पर कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग को की जाने वाली, कार्यवाही के संबंध में सलाह देगा:

परन्तु जहां निरीक्षण या जांच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर करवाई गई/करवाया गया हो, वहाँ कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करेगा।

(4) यथास्थिति कार्य परिषद् या प्रबंधक—वर्ग कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जो उससे ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की हो या जिसका करना वह प्रस्थापित करे संसूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति निर्दिष्ट करें, भेजी जायेगी।

(5) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधक—वर्ग, संयुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्यवाही न करें, वहाँ कुलाधिपति, कार्यपरिषद् या प्रबंधक—वर्ग द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या किये गये किसी व्यपदेशन पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और यथास्थिति कार्यपरिषद् या प्रबंधक—वर्ग उनका अनुपालन करेगा/करेगी।

तीसरा अध्याय – विश्वविद्यालय अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे अर्थात्:—

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

¹⁵[(दो—क) कुलाधिसचिव;

(तीन) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(चार) कुल सचिव;

(पांच) विद्यार्थी—कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(छः) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

12. कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ

(1) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित हो, सभा के सम्मिलनों की तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति :—

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज पत्र या जानकारी मंगा सकेगा; और

(ख) ¹⁶["अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से धारा 55 के अधीन आने वाले मामलों के सिवाय कोई भी मामला"] विश्वविद्यालय के किसी भी

अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिये निर्देशित कर सकेगा।

(4) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा :-

(क) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया/की गई हो ¹⁷[-----] ¹⁸[किसी भी ऐसी कार्यवाही को"] जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हो, या

(ख) किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्हीं ऐसे कार्यवाहियों को, जो कुलपति द्वारा, धारा 15 की उपधारा (7) के अधीन उसे निर्देशित की गई हो, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्यवाहियाँ विश्वविद्यालयों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं; बातिल कर सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिये अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाय और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाय, तो वह उस पर विचार करेगा।

(5) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अधीन होगी।

(6) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाय।

13. कुलपति की नियुक्ति

(1) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) या उपधारा(6) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी:

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण या नियुक्ति प्रतिग्रहीत करने के लिये रजामन्द न हों/ हो, तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा;

¹⁹[लुप्त]

²⁰["परन्तु यह भी कि द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।"]

(2) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

(एक) कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति”²¹

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति, कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति गठित करने के लिये, कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्यपरिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इसके पश्चात् कुलाधिपति, यथास्थिति किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा।²²

(4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त हो, उपधारा (2) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित या नाम निर्देशित नहीं किया जायगा।

(5) समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढाया जाय, तालिका प्रस्तुत करेंगी।

(6) यदि किसी कारण से वह समिति, जो उपधारा (2) के अधीन गठित की गई हो, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति हों, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त न हो, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जायेगा। इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका प्रस्तुत करेगी।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन गठित समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकेगा।

14. कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्वकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियाँ एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी:

²³[(2) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

[..... विलोपित]²⁴

परन्तु [.....]²⁵ कि अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी, वह तब तक पद धारण किये रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह माह से अधिक नहीं होगी।

(2-क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति, उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपना पद अपनी पदावधि का अवसान होने तक धारण किये रहेगा।”]

(3) यदि अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात किसी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने :-

(एक) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) वह विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, अपना पद त्याग दे।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा यदि उन आधारों की विशिष्टता, जिन पर कि ऐसी कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित न कर दी गई हो तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) उपधारा (3) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।

²⁶ [(6) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, छुट्टी रुग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो

कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति, जो यथास्थिति धारा 13 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, अपना पद यथास्थिति ग्रहण या पुनःग्रहण नहीं कर लेता है:]

परन्तु इस उपधारा में अनुध्यात व्यवस्था छह मास से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी।

15. कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा। वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष, सभा का सदस्य तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो।

(2) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिये समस्त आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(3) कुलपति को सभा, कार्य-परिषद् विद्या-परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष हो, सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी। यह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करता, करेगा:

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिये किसी भी आवर्ती व्यय के हेतु बचनबद्ध नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाही की संसूचना दी गई है, तीस दिन के भीतर कार्य-परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

²⁷ [परन्तु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों में संशोधन से संबंधित किन्हीं मामलों या ²⁸[-----] नियुक्तियों से संबंधित किन्हीं मामलों पर नहीं होगा]।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन न करें, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही समझी जायेगी जब तक कि वह उपधारा (5) के अधीन किये गये निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त न कर दी जाये या उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन अपील के किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त न कर दी जाय।

(7) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर अनुकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला कुलाधिपति को निर्देशित करेगा और तदनुसार इत्तिला संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को देगा जिस पर कि संबंधित विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन विनिश्चित न कर दिया जाय।

(8) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, आदेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाये।

²⁹ [15 क प्रथम कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की सभा कार्य परिषद्, विद्या-परिषद् और उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति को यथास्थिति विश्वविद्यालयों की सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या उसका ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जायेगा और वह इस अधिनियम के द्वारा या उसके

अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का या उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग तथा पालन करेगा:

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचन समझे, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् ऐसे प्राधिकारियों के स्थान पर कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने में उसकी (कुलपति की) सहायता करने और उसे सलाह देने के लिये एक ऐसी समिति नियुक्त करेगा जिसमें शिक्षाशास्त्री, एक प्रशासकीय विशेषज्ञ और एक विशेषज्ञ होंगे।

15 ख. कुलाधिसचिव

³⁰[(1) कुलाधिसचिव की नियुक्ति कार्यपरिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी। यदि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश स्वीकार नहीं करती है तो यह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा]।

(2) कुलाधिसचिव विश्वविद्यालय का एक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलाधिसचिव की पदावधि, सेवा की शर्तें और उपलब्धियाँ ऐसी होंगी जो कि परिणियमों द्वारा विहित की जाएँ और इस प्रकार विहित किये जाने तक ऐसी होंगी जो कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाएँ।

(4) कुलाधिसचिव कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि कुलाधिपति द्वारा, कुलपति के परामर्श से, उसे सौंपी जायें और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाएँ।

15 ग.(1) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों के लिये अधिकारियों की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये राज्य विश्वविद्यालय सेवा गठित की जायेगी। राज्य विश्वविद्यालय सेवा कुल सचिवों के संवर्ग तथा धारा 11 के खंड (छः) के अन्तर्गत आने वाले अन्य अधिकारियों के ऐसे संवर्गों जैसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, मिलकर बनेगी।

(2) राज्य सरकार, राज्य विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भरती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगी:

परन्तु जब तक उपधारा (1) के अधीन राज्य विश्वविद्यालय सेवा गठित नहीं की जाती और इस उपधारा के अधीन नियम नहीं बनाये जाते, यथास्थिति कुलसचिव के पद, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1980 के प्रारंभ की तारीख को रिक्त हों, या उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारियों के वे पद, जो अधिकारियों के संवर्गों को विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को रिक्त हों, कुलाधिपति द्वारा, उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करके, भरे जायेंगे।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

(4) उन व्यक्तियों को जो उपधारा (1) के अधीन नियम की गई तारीख को, कुलसचिवों के पदों को धारण कर रहे हों या उन व्यक्तियों को, जो उक्त उपधारा के अधीन, की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संवर्गों में समाविष्ट अधिकारियों के पदों को धारण कर रहे हों,

यदि वे 1 सितंबर, 1980 के पूर्व उक्त पदों पर स्थायी कर दिये गये हो, राज्य विश्वविद्यालय सेवा में स्थायी रूप से आमंत्रित और सम्मिलित कर लिया जायेगा। 1 सितंबर, 1980 को पूर्वोक्त पद धारण करने वाले शेष व्यक्तियों को, यदि वे ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाने के पश्चात् जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाये, उपयुक्त पाये जाते हैं, राज्य विश्वविद्यालय सेवा में या तो अनंतिम रूप से या अंतिम रूप से आमेलित किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को राज्य विश्वविद्यालय सेवा में अंतिम रूप से आमेलित नहीं किया जा सकता है तो उसकी सेवाएँ उसे उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त किये गये एक मास के वेतन का संदाय करके, किसी भी समय समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन लेनी होगी।

(5) जहां पूर्वोक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, उस उपधारा में उपबंधित किये गये अनुसार राज्य विश्वविद्यालय सेवा में अंतिम रूप से आमेलित कर लिया जाता है, वहाँ उसके आमेलन के ठीक पूर्व उसकी लागू सेवा की भर्ती में, उन्हें उसके लिये कम अनुकूल बनाकर नहीं ऐसा परिवर्तन, जो उसके लिये अलाभकारी हो, नहीं किया जायेगा। किन्तु वह विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय अन्तरित किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

16. कुल सचिव

(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह सभा के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के एवं विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में करेगा।

(2) कुल सचिव धारा 15—ग तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् की जायेगी और वह चार वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जायें:

परन्तु जहां कार्य परिषद् प्रवरण समिति द्वारा लगाकर रखे गये गुणानुक्रम के अनुसार नियुक्ति न करने अन्यथा नियुक्ति करना प्रस्थापित करती हो, वहाँ कार्य परिषद् अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगी और अपनी प्रस्थापना अनुमोदन के लिये कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(3) ³¹[विलोपित]

(4) कार्य परिषद् को शक्तियों के अध्यधीन रहते हुये, कुलसचिव, जब तक कि परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, यह देखने के लिये उत्तरदायी हो कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिये व्यय किये जाते हैं जिनके लिये वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं:

(5) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समस्त संविदायें विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायेंगी और समस्त दस्तावेजें तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे / की जायेंगी।

(6) कुल सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

17. विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष

(1) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा:

परन्तु कार्य परिषद् यदि आवश्यक समझे; कुलपति की सिफारिश पर, उपाचार्य के पद से अनिम्न पद के किसी अध्यापक को ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मामले में कार्य परिषद् उसे (उस अध्यापक को) दिये जाने के लिये यथोचित भत्ते मंजूर कर सकेगी।

(3) विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष की सेवा में निबंधन तथा शर्तें और उसके कर्तव्य एवं शक्तियों परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी/किये जायेंगे।

18. अन्य अधिकारी

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की, जो धारा 11, में निर्दिष्ट किये गये हैं, नियुक्ति ऐसी रीति में की जायेगी और उनकी सेवा की शर्तें एवं उनकी शक्तियों तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

³² [18.क. कतिपय अधिकारियों को राज्य विश्वविद्यालय सेवा में सम्मिलित कर लिया जाने पर, धारा 18 का लागू न रह जाना— धारा 11 के खंड (छ) के अन्तर्गत आने वाले अन्य अधिकारियों के पदों को धारा 15-ग के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा में सम्मिलित कर लिया जाने पर, धारा 18 के उपबंध ऐसे अन्य अधिकारियों के संबंध में लागू नहीं रह जायेंगे।]

अध्याय चार – विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :-

(एक) सभा;

(दो) कार्य-परिषद्;

³² [(दो-क) (वित्त समिति);

(तीन) विद्या – परिषद्;

(चार) संकाय;

(पांच) अध्ययन बोर्ड;

(छः) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड;

(सात) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

20. सभा का गठन

(1) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

समूह – क

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

³³ [(दो-क) कुलाधिसचिव];

(तीन) संकायों के संकायाध्यक्ष;

³⁴[(तीन-क) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(तीन -ख) महाविद्यालय विकास परिषद् पर यथास्थिति संकायाध्यक्ष या संचालक];

(चार) सचिव मध्यप्रदेश शासन ³⁴[उच्च शिक्षा विभाग] या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(पांच) ³⁴[आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश];

(छः) संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;

(सात) संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश;

(आठ) सभापति, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल;

(नौ) विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर नगरपालिक निगम का महापौर या विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर की नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष जैसी भी कि दशा हो;

समूह -ख

(दस) विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य जिनमें से कम से कम एक महिला प्राचार्य होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों में से तीन आचार्य, जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे;

(बारह) संबद्ध महाविद्यालयों में से दो आचार्य जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे;

³⁵[(तेरह) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के उपाचार्यो/प्राध्यापकों में से दो व्यक्ति तथा संबंध महाविद्यालयों के सहायक आचार्यो में से तीन व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(चौदह) [विलोपित] ;

(पन्द्रह) चौदह व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों में से होगा, ये चौदह व्यक्ति परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में प्राध्यापकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे।

समूह- ग

³⁷[सोलह) "विद्वत वृत्तियों" प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक दो व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे;

(सत्रह) उद्योग, कृषि, श्रम और वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक चार व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(अठारह) राज्य विधान सभा के आठ सदस्य जिनका चयन राज्य विधान सभा द्वारा किया जायेगा;

(उन्नीस) पांच प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे;

(बीस) विश्वविद्यालय दस ^{37-3f} लाख रूपये या अधिक संदाय करने वाला प्रत्येक दाता;

(बीस-क) विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापनेतर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि जो परिनियमों द्वारा विहित किये गये अनुसार अपने में से निर्वाचित किया गया हो";और]

समूह घ

³⁸[(इक्कीस) तीन विद्यार्थी, जो अध्ययन बोर्डों के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये गये हों;
(बाईस) दो विद्यार्थी, जो उन विद्यार्थियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे, जो निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली विश्वविद्यालयीन टीमों के सदस्य रह चुके हों;
(तेइस) दो विद्यार्थी, जो उस निर्वाचकगण (इलेक्टरल कालेज) द्वारा, जिसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों के विद्यार्थी संघों के तत्समय अध्यक्ष हों, अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे;"]

समूह - ड.

(चौबीस) कार्यपरिषद के ऐसे सदस्य जो पूर्ववर्ती पदों (आयटम) में से किसी भी पद (मानदण्ड) के अधीन सदस्य न हो।

स्पष्टीकरण-

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक (आयटम) पद के अधीन सभा का सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा।

(दो) किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय में से एक से अधिक व्यक्ति समूह ख-के किसी भी एक पद (आयटम) के अधीन नाम निर्देशित नहीं किये जायेंगे।

³⁹[(तीन) खंड (बीस-क) में वर्णित प्रतिनिधि को छोड़कर, राज्य के भीतर के किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय का कोई भी वैतनिक कर्मचारी समूह'-ग के अधीन सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा।"]

(चार) समूह-घ के प्रयोजन के लिये, विद्यार्थी से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जो-

(क) विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र या किसी अन्य संस्था में, अध्यादेशों में अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या गवेषणा कर रहा हो; और

(ख) अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उन शैक्षणिक सत्र के, जिसमें कि वह निर्वाचित होना चाहता है, प्रारंभ होने की तारीख के अधिक से अधिक सात वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो या अपनी इण्टरमीडियेट परीक्षा उक्त तारीख से अधिक से अधिक छः वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो:

⁴⁰[परन्तु जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तारीख 25 जून, 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान किसी विद्यार्थी को अपना अध्ययन आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने का अधिनियम, 1971 (क्रमांक 26 सन्

1971) के अधीन स्वयं के निरूद्ध किये जाने के कारण या डिफेन्स एण्ड इन्टर्नल सिक्युरिटी ऑफ इण्डिया एक्ट, 1971 (क्रमांक 42 सन् 1971) या भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 107 या धारा 117 या धारा 151 के अधीन स्वयं के गिरफ्तार या कारावासित किये जाने के कारण बंद कर देना पडा था और इस उप पैरा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधियों का ऐसे विद्यार्थी के संबंध में अवसान विद्या वर्ष 1977-78 का प्रारंभ होने के पूर्व ऐसे निरोध, ऐसे गिरफ्तारी या ऐसे कारावास के दौरान हो गया था, वहां इस पैरा के उपबंध ऐसे विद्यार्थी के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों कि शब्द "सात वर्ष" तथा "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "नौ वर्ष" तथा "आठ वर्ष" क्रमशः स्थापित किये गये हों।

(पांच) पद (उन्नीस), (इक्कीस); (बाईस) तथा (तेईस) के अधीन निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय।

(2) उपधारा (1) के समूह-घ के अधीन निर्वाचित किये गये सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

(3) उपधारा (1) के समूह-ख तथा समूह-ग के अधीन यथास्थिति नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्यों या उपधारा (1) के समूह-ख तथा समूह-ड. में सम्मिलित किये गये सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान सभा की अवधि, जो तीन वर्ष की होगी के पर्यवसान के साथ होगा।

(4) उपधारा (1) के पद (बीस) में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक दाता सभा का आजीवन सदस्य रहेगा:

परन्तु जहाँ ऐसा दाता अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब न्यास, फर्म, कंपनी या निगमित निकाय हो, वहां वह सभा की सदस्यता के प्रयोजनों के लिये, उस तारीख से, जिसको कि विश्वविद्यालय द्वारा दान प्रतिग्रहीत किया जाय, पन्द्रह वर्ष की कालावधि का अवसान होने पर दाता नहीं रहेगा और पूर्वोक्त कालावधि के दौरान, वह प्रतिनिधि, जो ऐसे दाता द्वारा समय-समय पर नाम-निर्देशित किया जाय दाता समझा जायेगा।

21. सभा के सम्मिलन तथा उनमें गणपूर्ति

(1) सभा का सम्मिलन एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें होंगे।⁴¹

"[(2) सभा के पच्चीस सदस्यों से गणपूर्ति होगी। परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।]"

(2) सभा के तीस सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

22. सभा की शक्तियाँ तथा उसके कर्तव्य

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(एक) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(दो) विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिये उपाय सुझाना;

(तीन) वार्षिक रिपोर्टें, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

⁴²[(पांच) [..... लुप्त]]

(छः) सम्मानिक उपाधियाँ तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ कार्यपरिषद् की सिफारिश पर प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का, उस दशा में के सिवाय जहाँ कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों अनुसार कार्य किया हो जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हों, पुनर्विलोकन करना;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जांच या उस पर अधिरोपित किये जायें।

23. कार्यपरिषद्

(1) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलाधिपति;

⁴³[(एक-क) कुलाधि सचिव]

(दो) संकायों के चार संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,

(तीन) सभा द्वारा अपने सदस्यों में से, एक संक्रमणीय मत द्वारा, निर्वाचित किये गये तीन व्यक्ति;

(चार) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों के दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(पांच) संबद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हों, ये चार प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(छः) सचिव, मध्यप्रदेश शासन ⁴⁴[उच्च-शिक्षा विभाग] या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(सात) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव के पद से निम्न पद का न हो;

** (आठ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित छह व्यक्ति जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन छह व्यक्तियों में से दो महिलाएं होंगी।

(2) कार्यपरिषद् के वे सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे:

परन्तु उपधारा (1) के पद (तीन) के अधीन निर्वाचित किया गया कार्य परिषद् का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रह जायेगा यदि वह सभा का सदस्य, न रह जाये।

(3) कार्यपरिषद् के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

⁴⁵[परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी]”।

24. कार्यपरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

इस अधिनियम तथा उनके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगी, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(दो) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना;

(तीन) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे अंगीकृत करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विरचित करना और उन्हें सभा के समक्ष उसके विचारार्थ रखना;

(पांच) (क) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों को सभा के सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् अंगीकृत करना;

(ख) वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी जिनके अन्तर्गत उत्पादी कार्यों की दशा में उधारों के आगमन आयेंगे;

(छः) खंड (पांच) के अध्याधीन रहते हुये, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय—

(क) बजट अनुदान की रकम कम करना;

(ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम के, एक उपशीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष को या किसी एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष के अन्तर्गत आने वाली किसी अधीनस्थ शीर्ष को अन्तरित किये जाने की मंजूरी देना, या

(ग) किसी उपशीर्ष के भीतर की पाँच हजार से अनधिक किसी रकम के एक अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अन्तरित किये जाने की मंजूरी देना;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना तथा उधार देना:

परन्तु निधियाँ विश्वविद्यालय—सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, ⁴⁶[राज्य सरकार] के पूर्व अनुमोदन के बिना, उधार नहीं ली जायेंगी;

(आठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करना:

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय दान के रूप में या अन्य अन्तरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(नौ) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएँ करना, उनमें फेरफार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना; उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना;

(ग्यारह) समस्त महाविद्यालय तथा छात्रनिवासों की वित्तीय अपेक्षाओं का पूर्ण विवरण प्रति वर्ष ⁴⁷[आयुक्त उच्च शिक्षा] के समक्ष रखना;

(बारह) विद्या परिषद् की सिफारिश पर तथा ⁴⁷[आयुक्त उच्च शिक्षा] के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और उस रीति तथा उन शर्तों के अधधीन, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई हों, इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा महाविद्यालयों का प्रबंध ग्रहण करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग; प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित करना:

परन्तु स्वायत्तता, जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्यापन विभाग, प्रत्येक ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय तथा वे नियम, जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें;

(चौदह) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिये आवश्यक भवन-परिसरों, उपस्कर, उपकरणों (एपरेट्स), पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालयों के पक्ष में न्यासों, वसीयतों (विव्क्वेस्ट्स), दानों और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के अन्तरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिग्रहीत करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना;

(सत्रह) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :-

(क) मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुदान ब्यूरो;

(ख) सूचना ब्यूरो; और

(ग) नियोजन ब्यूरो

(अट्ठारह) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना:-

- (क) (एक) बहिर्वर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा;
(दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप; और
(तीन) पत्राचार पाठक्रम;
- (ख) शारीरिक प्रशिक्षण;
- (ग) विद्यार्थी संघ;
- (घ) विद्यार्थी-कल्याण;
- (ङ.) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;
- (च) समाज सेवा स्कीमें; और
- (छ)राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(उन्नीस) विद्या परिषद् की समस्त प्रस्थापनाओं की, बजट के ढाँचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना;

(बीस) ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों ⁴⁸[सहायक आचार्य पदों] प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, जिनकी कि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रस्थापना की जाय, संस्थित करना:

परन्तु कोई भी अध्यापन-पद ⁴⁹[आयुक्त उच्च शिक्षा] के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा;

(इक्कीस) ⁵⁰ [प्रशासनिक लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों, का सृजन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी करना];”

(बाईस) विश्वविद्यालय के किन्हीं आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, उनके संबंध में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाप्त करना या निलम्बित करना;

(तेईस) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, गवेषणा या विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रनिवासों की स्थापना करना, उन्हें संधारित तथा उनका प्रबंध करना;

(चौबीस) छात्रनिवासों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के लिये जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, आवास स्थान की व्यवस्था करना;

(पच्चीस) सम्बद्ध विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा छात्रनिवासों के निरीक्षण का इन्तजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिये निर्देश देना और उनकी दक्षता बनाये रखना तथा उनके कर्मचारी वृन्द के सदस्यों के लिये नियोजन की उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी करना और ऐसे पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में, संबद्ध करने या मान्यता देने की या ऐसे अन्य उपाय करने की जिन्हें कि वह उस संबंध में आवश्यक तथा उचित समझे, शर्तों में, विद्या परिषद् की सिफारिश पर उपान्तरण करना;

(छब्बीस) एक महाविद्यालय संहिता, उसमें शासकीय महाविद्यालयों से भिन्न महाविद्यालयों को संबद्ध किये जाने संबंधी निबंधन तथा शर्तें अधिकथित करते हुए, तैयार करना;

(सत्ताईस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं या छात्रनिवासों से रिपोर्ट विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी मंगवाना;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास स्थान, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिये इंतजाम करना;

(उन्तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियाँ तथा विद्या संबंधी विशिष्टताएँ प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना;

(तीस) ⁵¹ [परिनियमों द्वारा विहित रीति से उपाधियाँ, पत्रोपाधियाँ, प्रमाण—पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना या प्रत्याघन करना]

(इकतीस) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ पदक तथा पारितोषिक संस्थित करना;

(बत्तीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों जो कुलपति से भिन्न हों अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्यों और उनकी शर्तें सेवा परिनिश्चित करना और उनके पदों में होने वाली अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(तैंतीस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारी वृन्द के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों को अनुसार करना;

(चौतीस) किसी संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारीवृन्द के सदस्य को विश्वविद्यालय अध्यापक के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(पैंतीस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य जांचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;

(छत्तीस) अनाचार (मालप्रेक्टिस) की दशा में परीक्षाओं को अंशतः या पूर्णतः रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाये गये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का निष्कासन (रस्टीकेशन) आता है, करना;

(सैंतीस) विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों, जिनके अन्तर्गत किन्हीं भी परीक्षाओं के अभ्यर्थी आते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना;

(अड़तीस) कर्मचारीवृन्द के विरुद्ध तथा अन्तरीक्षकों (इन्विजीलेटर्स) परीक्षकों आदि के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना;

(उन्तालीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाएं/ की जाए नियत करना, उनकी मॉग करना और उन्हें प्राप्त करना;
 (चालीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना;
 (इकतालीस) विद्या-परिषद् द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिग्रहीत करना, अस्वीकार करना, या विद्या-परिषद् की ओर विचारार्थ वापस करना किन्तु उनमें संशोधन न करना;
 (बयालीस) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के व्यथा-निवेदनों को ग्रहण करना, उन्हें न्याय निर्णीत करना और यदि ठीक समझा जाये तो उनके संबंध में प्रतितोष देना;
 (तैंतालीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाये या उस पर अधिरोपित किये जायें;
 (चवालीस) विश्वविद्यालय की ऐसी समस्त शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न की गई हों, तथा ऐसी समस्त शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित हों, प्रयोग करना;
 (पैंतालीस) अपनी कोई भी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके (कार्य परिषद् के) द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना।

⁵²["24-क. वित्त समिति और उसके कृत्य - (1) कुलाधिपति, प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये एक वित्त समिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

⁵²[(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति अध्यक्ष;

(एक-क) विश्वविद्यालय का कुलसचिव सदस्य सचिव"]

(दो) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी;

⁵³ ["(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त संचालक से निम्न पद का न हो";]

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(पाँच) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।

(2) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अध्याधीन रखते हुए, वित्त

समिति निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी:—

(क) विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना;

⁵⁴[(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व तैयार करना और कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिये रखना और उसमें संशोधन के लिये समय-समय पर सलाह देना;]

(ग) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना और विनिश्चय करना;

(घ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निदेश देना।”]

⁵⁴[(4) तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिनमें कुलपति की तथा उपधारा (1) के उपखंड (चार) या (पांच) में से एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी”]

25. विद्या-परिषद्

(1) विद्या-परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे —

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

⁵⁴ [(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश या उसका नामनिर्देशिती जो क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा से निम्न पद का न हो,]

(चार) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल;

(पाँच) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष;

⁵⁴ [(“पाँच-क) महाविद्यालय विकास परिषद् का यथास्थिति संकायाध्यक्ष या संचालक”,]

(छः) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष;

(आठ) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के पांच प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों, जिनमें यथासंभव कम से कम दो महिला प्राचार्य होंगी;

(नौ) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के दो आचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों;

(दस) विश्वविद्यालय के आचार्यों तथा प्राध्यापकों और महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों में से तीन व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों, जिनमें कम से कम दो महिलाएँ होंगी।⁵⁵

[(2) विद्या-परिषद् के बारह सदस्यों में गणपूर्ति होगी:

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।⁵⁶

(3) विद्या-परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की, जो कि परिषद् के समक्ष विचारार्थ आवे, विषय-वस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार सहयोजित किये गये सदस्यों को, ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किये जायें सम्पादन के बारे में परिषद् के सदस्यों के समस्त अधिकार होंगे।

(4) विद्या-परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

26. विद्या-परिषद् की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(1) विद्या परिषद् को इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगी, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य पर्व्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में, ऐसे महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाओं में जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, सहकारी अध्यापन के संबंध में गवेषणा के मूल्यांकन के संबंध में या विद्या संबंधी स्तर विषयक सुधारों के संबंध में निदेश देना;

(दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय या कार्य परिषद द्वारा किये गये निर्देश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उन पर समुचित कार्यवाही करना;

(तीन) संकायों को विभाग आवंटित करने के लिये प्रस्थापन करना और अधिसदस्यों (फेलोज) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकायों के लिये नियत करना;

(चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन-वृत्तियों, छात्र सहायता-वृत्तियों, पदकों तथा परितोषकों को संस्थित करने के लिये प्रस्थापना करना और उनके प्रदान के लिये नियम बनाना;

(पाँच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना:

⁵⁷["परन्तु ऐसी किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा का इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हो कि उस संस्था की स्थापना के संबंध में या संस्था द्वारा चाहे गये संकायों के विस्तार के संबंध में उसके द्वारा अनुज्ञा दी जा चुकी है।"]

(छः) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिये अर्हताएँ विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना;

(सात) परीक्षाओं के संचालन के लिये इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करने एवं ऐसे परीक्षाफल कार्य परिषद को प्रकाशनार्थ प्रतिवेदित करने के लिये परीक्षाफल समितियों की नियुक्ति करना जिनमें उसके अपने सदस्य या अन्य व्यक्ति या दोनो, जैसा कि वह उचित समझे, होंगे;

(आठ) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में पथ प्रदर्शन करें।

(2) विद्या-परिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्या-परिषद) के सदस्य होंगे। उक्त स्थायी समिति के गठन, शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जायगा।

27. संकाय

(1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित समस्त या उनमें से कोई भी संकाय होंगे, अर्थात् -

(एक) कला;

(दो) समाज विज्ञान;

(तीन) विज्ञान;

(चार) विधि;

(पांच) शिक्षा;

(छः) इंजीनियरी;

(सात) चिकित्सा शास्त्र (मेडीसिन);

(आठ) आयुर्वेद;

(नौ) वाणिज्य;

(दस) ऐसे अन्य संकाय जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायँ।

(2) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे और उसे ऐसी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे जो कि उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जायँ।

(4) संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों के उन आचार्यों में से, जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हैं, दो वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायगा:

परन्तु यदि विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों का उक्त विषयों का अध्यापन करने वाला कोई भी आचार्य न हो, संकायाध्यक्ष उन महाविद्यालयीन आचार्यों में से, जो उक्त विषयों के अध्यापक हैं, नियुक्त किया जायगा:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों का उक्त विषयों का अध्यापन करने वाला कोई भी महाविद्यालयीन आचार्य न हो या उक्त विषयों का अध्यापन करने वाला कोई भी महाविद्यालयीन आचार्य न हो, तो संकायाध्यक्ष संबद्ध महाविद्यालयों के उन प्राचार्यों में से, जो उक्त विषय के अध्यापक हैं किन्तु जो महाविद्यालयीन आचार्य नहीं है, नियुक्त किया जायगा:

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों का उक्त विषयों का अध्यापन करने वाला कोई भी आचार्य न हो या उक्त विषयों का अध्यापन करने वाला कोई भी महाविद्यालयीन आचार्य न हो या उक्त विषयों का अध्यापन करने वाला कोई भी प्राचार्य न हो, तो कुलाधिपति किसी अन्य संकाय के संकायाध्यक्ष को संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगा।

- (5) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और वह संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिये तथा अध्यापन एवं गवेषणा के संचालन तथा उनके स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।
- (6) संकायाध्यक्ष को संकाय के किसी भी अध्ययन बोर्ड के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

28. अध्ययन बोर्ड

- (1) प्रत्येक विषयक के लिये या विषयों के समूह के लिये, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, एक अध्ययन बोर्ड होगा।
- (2) प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—
 - (एक) उन विषयों के, जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य;
 - (दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे;
 - (तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जायेगा;
 - (चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे;
 - (पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

- (छः) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा;
- (सात) दो सदस्य, जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके कि लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हों, में से होगा;

स्पष्टीकरण— खंड (छः) जो प्रयोजन के लिये, विद्यार्थी से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जो—

- (क) विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र या किसी अन्य संस्था में अध्यादेशों में अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या गवेषणा कर रहा हो; और
- (ख) अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अपनी नियुक्ति की तारीख के अधिक से अधिक सात वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो या अपनी इण्टरमीडिएट परीक्षा अपनी नियुक्ति की तारीख के अधिक से अधिक छः वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो।

(3) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से, जो उपधारा (2) के खंड (एक) में निर्दिष्ट किये गये हैं, नाम निर्देशित किया जायेगा:

परन्तु यदि खंड (एक) के अधीन कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष, कुलपति द्वारा, बोर्ड के उपधारा (2) के खंड (दो) तथा (तीन) के अधीन के सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि यदि खंड (एक), (दो) तथा (तीन) के अधीन कोई सदस्य न हो, तो अध्यक्ष बोर्ड के उपधारा (2) के खंड (चार) के अधीन के सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जायेगा।

- (4) अध्ययन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी;
परन्तु बोर्ड के विद्यार्थी सदस्य की पदावधि एक वर्ष होगी।

⁵⁸[29. अध्ययन बोर्ड की शक्तियाँ तथा उनके कृत्य

धारा 34—क के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, अध्ययन बोर्ड को ऐसी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ/किये जाएँ।”

30. विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड

(1) विद्या संबंधी तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —

(एक) कुलपति—पदेन अध्यक्ष;

⁵⁹“(एक—क) कुलाधि सचिव”

(दो) संकायों के संकायाध्यक्ष;

⁶⁰ [“(दो—क) महाविद्यालय विकास परिषद् का यथास्थिति संकायाध्यक्ष या संचालक”];

- (तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के तीन अध्यक्ष (हेड) जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये गये हों;
- (चार) दो महाविद्यालयीन प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये गये हों;
- (पांच) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किये गये ख्याति प्राप्त तीन विद्वान जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हों;
- (छः) उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य के दो प्रतिनिधि, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये गये हों;
- (2) बोर्ड के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
- (3) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी।
- (4) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् –
- (एक) विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजना तैयार करना;
- (दो) संकायों द्वारा प्रस्थापित की गई गवेषणा संबंधी परियोजनाओं तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों पर विचार करना, तथा अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें कार्य परिषद को अग्रेषित करना तथा अन्तर्सकाय आधार पर परियोजनाएँ आरंभ करने के लिये अन्तर्सकाय समन्वय स्थापित करना;
- (तीन) ⁶¹ “[संकायों को विद्या संबंधी नये कार्यक्रम सुझाना तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का समय-समय पर विद्या संबंधी मूल्यांकन करना]”;
- (चार) विभागों, गवेषणा तथा विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना के लिये प्रस्थापना करना;
- (पांच) अध्यापन-पदों को संस्थित करने तथा ऐसे पदों के कर्तव्य विहित करने के लिये प्रस्थापना करना;
- (छः) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के कार्यकरण का समय-समय पर मूल्यांकन करना;
- (सात) योजना की प्रगति का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करना।

31. गठित किये जाने वाले बोर्ड

विश्वविद्यालय में से ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायँ।

- (2) उपधारा (1) के अधीन गठित किये गये बोर्डों का गठन, अवधि, शक्तियाँ तथा कर्तव्य नहीं होंगे जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायँ।

पाँचवा अध्याय – वित्त

32. विश्वविद्यालय निधि

- (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी।
- (2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे:—
- (क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक अभिदाय या अनुदान;

- (ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) तथा अन्य अनुदान यदि कोई हों;
- (ग) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;
- (घ) विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियाँ।
- (3) विश्वविद्यालय-निधि, कार्य परिषद् के विवेकानुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) में यथा परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जायगी या इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1882 (क्रमांक 2 सन् 1882) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिर्हित की जायेगी।
- (4) इस धारा की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रबंधक के लिये विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किये गये न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिग्रहीत की गई या उस पर अधिरोपित की गई किसी बाध्यता पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी।

33. उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय – निधि का उपयोजन किया जा सकेगा

(1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एवं निम्नलिखित क्रम से किया जायगा:—

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिये;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिये निवास-स्थान तथा छात्र-निवास के अनुरक्षण के लिये;

(ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिये;

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों में जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, व्ययों के लिये;

(ङ.) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिये और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संभारित महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में नियोजित किये गये अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिये और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपादान तथा अन्य फायदों के समुदाय के लिये;

(च) सभा, कार्य-परिषद् तथा विद्या-परषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालयों के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और/या इस

अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या किसी बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिये;

(छ) विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिये;

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिये;

(झ) पूर्ववर्ती खंडों में से किसी भी खंड में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो कि कार्य-परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये व्यय घोषित किया गया हो, संदाय के लिये।

(2) कार्य-परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिये नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

(3) उस व्यय से, जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया हो, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य-परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

छठवां अध्याय

समन्वय समिति [केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड] तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम

34. (1) एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे समन्वय समिति अर्थात्

(एक) कुलाधिपति;

(दो) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों के कुलपति;

⁶² [“(दो-क) द्वितीय दण्ड –सूची में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों का कुल सचिव]”

⁶³ [(तीन) आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश]

(चार) “प्रमुख सचिव/सचिव ⁶⁴ मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग;

(पांच) “प्रमुख सचिव/सचिव ⁶⁴ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग;

(छः) मध्यप्रदेश के राज्यपाल का सचिव;

(सात) “प्रमुख सचिव/सचिव ⁶⁴ मध्यप्रदेश शासन ⁶³ [उच्च शिक्षा विभाग] ;

⁶⁵ (आठ) राज्य विधान मंडल के किसी भी अधिनियम के अधीन गठित किये गये विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(2) कुलाधिपति समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा और सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

⁶³ [उच्च शिक्षा विभाग] उसका “प्रमुख सचिव/सचिव “⁶⁵ होगा।

- (3) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर धारा 36 तथा 38 के उपबंध के होते हुए भी, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश समन्वय समिति द्वारा तैयार किये जाएँगे। प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे कि कुलाधिपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें:

परन्तु समन्वय समिति को प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश तैयार करने की जो शक्ति प्रदान की गई है उस शक्ति का प्रयोग धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन नियत की गई तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर किया जायेगा।

- (4) समन्वय समिति, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी:—
- (एक) विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवृत्ति परिनियमों तथा अध्यादेशों की परीक्षा का कार्य समय-समय पर हाथ में लेना तथा उपान्तरण सुझाना;
- (दो) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों को अनुमोदित करना या अस्वीकार करना;
- (तीन) विश्वविद्यालयों तथा⁶³ [आयुक्त उच्च शिक्षा] को स्वप्रेरणा से या किसी विश्वविद्यालय के निवेदन पर अध्यापक विनिमय कार्यक्रम, पुनः सद्यक पाठ्यक्रमों का आयोजन या विद्या संबंधी किसी अन्य कार्यक्रम की सिफारिश करना;
- (चार) विद्या संबंधी कार्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालयों में सहयोग बढ़ाना;
- (पांच) समस्त या कुछ विश्वविद्यालयों के सामान्य हित के विषयों पर विचार करना;
- (छः) अपने काम-काज के संचालन के लिये उपविधियाँ विरचित करना।
- (5) समन्वय समिति का सम्मिलित भोपाल में या ऐसे अन्य स्थान पर तथा ऐसे अन्तरालों पर होगा, जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करें।

⁶⁶ [34—क. केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

(1) आधार पाठ्यक्रम (फाउन्डेशन कोर्स) के लिये या ऐसे अन्य विषय या विषयों के समूह के लिये, जिन्हें कि कुलाधिपति समन्वय समिति की सिफारिश पर अधिसूचित करे, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड होंगे।

(2) आधार पाठ्यक्रम के केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:—

- (एक) प्रत्येक विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय का एक अध्यापक, जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग के उपाचार्य के पद से निम्न पद का नहीं होगा, या किसी महाविद्यालय का एक आचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा; और
- (दो) दस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण — आधार पाठ्यक्रम से अभिप्रेत होगा और उसके अन्तर्गत आयेगा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में योग्यता बढ़ाने के लिये पाठ्यक्रम।

- (3) अन्य विषय या विषयों के समूह के केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे।
- (एक) समस्त विश्वविद्यालयों के उस विषय या उन विषयों के समूह के, जिनके लिये केन्द्रीय अध्यक्ष बोर्ड गठित किया जाना हो, अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष :
परन्तु यदि किसी विश्वविद्यालय में उस विषय या उन विषयों के समूह का कोई अध्ययन बोर्ड न हो तो कुलपति किसी ऐसे अध्यापक को नामनिर्देशित कर सकेगा जो विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग को उपाचार्य के या किसी महाविद्यालय के आचार्य के पद से निम्न पद का न हो:
परन्तु यह और भी कि यदि किसी विश्वविद्यालय में उस विषय या उन विषयों के समूह के एवं से अधिक अध्ययन बोर्ड हों तो कुलपति विश्वविद्यालय के संबंधित अध्ययन बोर्डों में से किसी भी अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष को केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगा।
- (दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के चार से अधिक विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।
- (तीन) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के पांच से अनधिक विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।
- (चार) पाँच से अनधिक विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा ⁶⁷ [आयुक्त उच्च शिक्षा] की सिफारिश पर नामनिर्देशित किये जायेंगे, जिनमें से कम से कम राज्य के बाहर का ओर यथासंभव संबंधित क्षेत्र के किसी प्रमुख गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा; और
- (पाँच) ⁶⁷ [आयुक्त उच्च शिक्षा का एक प्रतिनिधि]!
- (4) **कुलाधिपति—**
- (एक) आधार पाठ्यक्रम के केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के अध्ययन का नामनिर्देशन उपधारा (2) के खंड (एक) में निर्दिष्ट सदस्यों में से; और
- (दो) अन्य विषय या विषयों के समूह के केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष का नामनिर्देशन उपधारा (3) के खंड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट सदस्यों में से; करेगा।
- (5) कुलाधिपति; जब कभी वह आवश्यक समझे, उपधारा (2), (3) या (4) के अधीन को, नामनिर्देशित करने की अपनी शक्तियाँ ⁶⁷[आयुक्त उच्च शिक्षा] को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (6) इस धारा के अधीन केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड का गठन राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।
- (7) प्रत्येक केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी:

परन्तु केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन छह मास की और कालावधि तक या उस तारीख तक, जिसको कि पचीस केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है इसमें से जो भी पूर्वतर हो, करता रहेगा।

- (8) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाये गये किसी परिनियम या अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् –
- (क) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस विषय या उन विषयों के समूह में, जिनसे उसका संबंध है, स्नातक पूर्व (अंडर-ग्रेज्युएट) स्तर के लिये अध्ययन तथा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निहित करना, पाठ्य पुस्तकों निहित करना और/या अन्य पुस्तकों की सिफारिश करना जिनका कि अनुसरण राज्य में के समस्त विश्वविद्यालयों में किया जायेगा:

परन्तु किसी केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों अनुमोदन को इस आधार पर के सिवाय रोका नहीं जायेगा कि उनसे इस धारा में उपवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

- (ख) उस विषय की, जिससे उसका संबंध है, पुस्तकों का हिन्दी में भाषान्तर कराने के लिये और म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा तथा ऐसे अन्य लोक निकायों द्वारा, जो उसी उद्देश्य के लिये कार्य कर रहे हों, उन्हें प्रकाशित कराने के लिये कार्यवाही करना;
- (ग) यथास्थिति समन्वय समिति ⁶⁸[आयुक्त उच्च शिक्षा] या कुलाधिपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये किसी विषय पर विचार करना और रिपोर्ट देना;
- (घ) अपने कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसे विशेषज्ञ से परामर्श करना जो उसका सदस्य न हो; और
- (ङ) इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे अन्य कृत्यों का और ऐसे समय के भीतर पालन करना जैसी कि ⁶⁸[आयुक्त उच्च शिक्षा] या कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उससे अपेक्षा करे।
- (9) कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित की गई केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की सिफारिशें, राज्य में के समस्त विश्वविद्यालयों के संबंध में उस तारीख से प्रवृत्त होंगी जो कि कुलाधिपति द्वारा अधिसूचित की जायें।
- (10) कोई दो या अधिक केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उन दोनों के ही या यथास्थिति उन सभी के कार्यक्षेत्र के भीतर आता हो, सम्मिलित कर सकेंगे और संयुक्त रिपोर्ट दे सकेंगे और कुलाधिपति द्वारा निदेश दिया जाने पर ये वैसा करेंगे।
- (11) राज्य सरकार, इस धारा के उपबन्धों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, कुलाधिपति के परामर्श से नियम बना सकेगी।
- (12) प्रत्येक केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड अपने कृत्यों का पालन ऐसी रीति में करेगा जिससे कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और उच्च स्तर और श्रेणी की पुस्तकें विद्यार्थियों को कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकें। इस प्रयोजन के लिये,

वह म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी तथा उसी उद्देश्य के लिये कार्य करने वाले अन्य लोक निकायों के सहयोग से कार्य करेगा।

- (13) कुलाधिपति; किसी भी समय, किसी केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के किसी विनिश्चय को इस आधार पर निलम्बित, उपान्तरित या संशोधित कर सकेगा कि उससे इस धारा में उपवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती और बोर्ड को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विषय पर पुनः विचार करें।]”

35. परिनियम — इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाये;
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किये गये निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना आता है, और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) कुलपति की उपलब्धियाँ और उसकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें, उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य,

⁶⁹ [(ग-एक) कुलाधि सचिव की पदावधि की सेवा की शर्तें, उपलब्धियाँ और उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य;]

- (घ) कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें;
- (ङ) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम का स्थापन तथा उपदान एवं अन्य फायदों का उपबंध;
- (च) उपाधियाँ प्रदान करने के लिये दीक्षांत समारोह किया जाना;
- (छ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (ज) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;
- (झ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकाओं, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा संस्थाओं का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;
- (ञ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;
- (ट) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों का महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्तता की सीमा और वे विषय जिनके संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

- (ठ) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के आचार्यों, उपाचार्य, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएँ;
- (ड) विन्यासों (एण्डाउमेण्ट्स) का प्रबंध और अध्यापकवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों एक्जीविशन्स, वजीफों (वर्सरीज), पद को, पारितोषकों तथा अन्य पुस्तकों का संस्थित किया जाना;
- (ढ) अधिकारियों की उपलब्धियाँ तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतनमान के भिन्न उपलब्धियाँ तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें;
- (ण) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये ज्येष्ठता अवधारित करने का ढंग;
- (त) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाये रखा जाना;
- (थ) हिन्दी प्रकाशन तथा अनुवाद ब्यूरो का स्थापना तथा गठन; और
- (द) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिणियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं।

36. परिणियम किस प्रकार बनाये जायेंगे

- (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिणियम समन्वय समिति द्वारा तैयार किये जायेंगे।
- (2) समन्वय समिति इसमें इसके पश्चात् आने वाली रीति में परिणियम पारित करके समय-समय पर कोई परिणियम बना सकेगी, उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी।
- ⁷⁰ [(3) समन्वय समिति, किसी विश्वविद्यालय को कार्य परिषद से कोई प्रस्थान प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से परिणियम के प्रारूप पर विचार कर सकेगी जो किसी एक अथवा सभी विश्वविद्यालयों के हित में हो।" और]
- ⁷¹ [(3-क) विलोपित।
- (3) समन्वय समिति कार्य परिषद् द्वारा प्रस्थापना की जाने पर परिणियम के प्रारूप पर विचार कर सकेगी।
- (4) जहां प्रारूप की प्रस्थापना परिषद् द्वारा गई हो, वहाँ समन्वय समिति ऐसे प्रारूप को अनुमोदित कर सकेगी और परिणियम को पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे, किसी ऐसे संशोधन के साथ जिसका कि समन्वय समिति सुझाव दे, या अंशतः पुनर्विचार के लिये कार्य परिषद् को वापस कर सकेगी।
- (5) इसके पश्चात् कि उपधारा (4) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा समन्वय समिति द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर कार्य परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुका हो, वह कार्य परिषद् की तत्संबंधी रिपोर्ट के समन्वय समिति के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जायेगा और समन्वय समिति परिणियम को अनुमोदित कर सकेगी या अस्वीकार कर सकेगी।

- (6) समन्वय समिति किसी परिनियम के या परिनियम के किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के –
- (क) ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और कार्य परिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो; या
- (ख) ऐसे प्रारूप पर, जो महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाने की शर्तों पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और कार्य परिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि विद्या परिषद् को उस प्रारूप की प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसी राय कार्य परिषद् द्वारा किसी भी ऐसे प्रारूप के साथ, जिसकी कि वह प्रस्थापना करे, समन्वय समिति को अग्रेशित की जायेगी।
- (7) जहां समन्वय समिति परिनियमों को अनुमोदित कर दे, वहां वे ऐसी तारीख से प्रभावी हो जायेंगे जिसे कि समन्वय समिति विनिर्दिष्ट करे।

37. अध्यादेश

इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे :-

- (एक) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश और फीस का उद्ग्रहण तथा उनका नामांकन;
- (दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ और उनके लिये अर्हताएँ;
- (तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाणपत्रों तक पहुँचाने वाली परीक्षाएँ ;
- (चार) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के हेतु और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिये प्रवेश देने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (पाँच) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों, तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये शर्तों का अधिकथित किया जाना;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन;
- (सात) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एकजीविशंस), पदकों तथा पारितोषकों आदि के प्रदान किये जाने की शर्तें;
- (आठ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना;

- (नौ) अध्यापन विभागों, महाविद्यालयों, प्राध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें और छात्रनिवासों में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;
- (दस) छात्रनिवासों की मान्यता तथा उनका निरीक्षण;
- (ग्यारह) विशेष इन्तजाम, यदि कोई हो, जो स्त्री विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबध मे किये जा सकते हों और उनके लिये विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;
- (बारह) सदाचार संबंधी विभाग का दिया जाना;
- (तेरह) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या संभारित महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं का प्रबंध;
- (चौदह) उन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;
- (पन्द्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएँ तथा नियुक्ति की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनके वेतनमान आते हैं;
- (सोलह) किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बोर्डों एवं समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियाँ;
- (सत्रह) विद्यार्थियों के स्थानान्तरण के संबध में संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन तथा प्रवर्तित किये जाने वाले नियम;
- (अठ्ठारह) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता-प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;
- (बीस) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समिति तथा अन्य निकायों के सदस्यों के लिये तथा विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता स्वीकार किया जा सकेगा;
- ⁷²[इक्कीस) विद्यार्थी संघ का गठन और उसका ढंग; और]
- (बाईस) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा भी उपबंधित किये जाने है या उपबंधित किये जायें: परन्तु पद (पन्द्रह) के अधीन अध्यादेश धारा 50 के उपबंधों के अध्याधीन होगा।

38. अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे

- (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे।

⁷²["(2)कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश समन्वय समिति द्वारा उसे अनुमोदित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा।]"

39. अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया

- (1) धारा 38 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी वाद के होते हुए भी—
 - (क) कोई अध्यादेश, जो विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव डालता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्य की जाने वाली परीक्षाओं या विश्वविद्यालय के उपाधि पाठ्यक्रमों (डिग्री कोर्सज) में प्रवेश के लिये धारा 43 की उपधारा (1) में वर्णित की गई और अर्हताओं को विहित करता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक उसके प्रारूप की प्रस्थापना विद्या परिषद् द्वारा न की गई हो; या
 - (ख) कोई अध्यादेश, जो परीक्षकों की शर्तों तथा कर्तव्यों पर और परीक्षाओं के संचालन या स्वतः पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा संबंधित संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार बनाये जाने के सिवाय तथा ऐसे अध्यादेश के प्रारूप की प्रस्थापना विद्या परिषद् द्वारा न की जा चुकने तक, नहीं बनाया जायेगा; या
 - (ग) कोई अध्यादेश, जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की; जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, अर्हताओं तथा उपलब्धियों का प्रभाव डालता हो, कार्यपरिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसके प्रारूप की प्रस्थापना विद्या परिषद् द्वारा न की गई हो।
- (2) कार्य परिषद् को यह शक्तियाँ नहीं होंगी कि वह ऐसे प्रारूप को, जिसकी कि प्रस्थापना उपधारा (1) के अधीन विद्या परिषद् के द्वारा की गई हो, संशोधित करे किन्तु वह उस प्रस्थापना को स्वीकार कर सकेगी या प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ जिसका कि कार्य परिषद् सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी।
- (3) इसके पश्चात् कि उपधारा (2) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा कार्य परिषद् द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन तथा विद्या परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुका हो, वह, विद्या परिषद् की तत्संबंधी रिपोर्ट के साथ कार्य परिषद् के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जायेगा और तब कार्य परिषद् ऐसी रीति में, जैसे कि वह उचित समझे उस प्रारूप में कार्यवाही कर सकेगी।
- (4) जहां कार्य परिषद् ने जिला परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश का प्रारूप अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ विद्या परिषद् समन्वय समिति को अपील कर सकेगी और समन्वय समिति यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा जो कि उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

40 विनियम

- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, समितियाँ तथा अन्य निकाय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किये गये हों —

- (अ) अपने सम्मिलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्य की संख्या को अधिकथित करने वाले :
- परन्तु जब तक गणपूर्ति के लिये उपबंध करने वाले विनियम नहीं बनाये जाते, तब तक, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय का सम्मिलन करने के लिये अपेक्षित गणपूर्ति की संख्या वह संख्या होगी जिससे कि उन सदस्यों का बहुमत बनता हो जिनसे कि विश्वविद्यालय का ऐसा प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय तत्समय गठित होता हो।
- (ख) ऐसे समस्त विषयों के लिये, जो कि इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किये जाने हों उपबन्ध करने वाले; और
- (ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिये; जो एकाकी रूप से ऐसे प्राधिकारियों या अन्य निकायों से या उनके द्वारा नियुक्त की गई समितियों से संबंधित हों और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया गया हो, उपबंध करने वाले विनियम इस अधिनियम परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बना सकेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, समिति तथा निकाय ऐसे विनियम बनायेगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय के सदस्यों को सम्मिलनों की तारीखों की तथा कामकाज की जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो सूचना दिये जाने एवं सम्मिलनों का कार्यवृत्त रखे जाने के लिये उपबंध हो।
- (3) कार्य परिषद्, सभा से भिन्न किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी भी विनियम को उपान्तरित या बातिल कर सकेगी :
- परन्तु विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी, समिति या निकाय, जिसका ऐसे उपान्तरण या बातिलीकरण से समाधान हो, समन्वय समिति को अपील कर सकेगा जिसका इस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा।

सातवां—अध्याय.

41. विद्यार्थियों का निवास—स्थान, नामांकन तथा उपाधियां आदि

विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी छात्र—निवासों में निवास करेगा या अन्यत्र ऐसी शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसी कि परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित की जाये।

42. छात्र—निवास

- (1) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्र—निवासों से भिन्न छात्र—निवास ऐसे होंगे जिन्हें कि कार्य परिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर जैसी कि अध्यादेशों द्वारा विहित की जायें, मान्यता दी जाये।
- (2) छात्र—निवासों के प्रतिपालकों (वार्डन्स) की तथा अधीक्षण—कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में की जायगी।

(3) छात्र-निवासों में निवास करने की शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेंगी और प्रत्येक छात्र-निवास इस बात के अधीन होगा कि विश्वविद्यालय के किसी ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जो कार्य परिषद् द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, उसका निरीक्षण किया जाय।

(4) कार्य परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह किसी छात्र-निवास की मान्यता को इस आधार पर निलम्बित कर दे या उसका प्रत्याहरण कर ले कि उसका संचालन अध्यादेशों द्वारा विहित की गई शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता :

परन्तु ऐसी कोई भी कार्यवाही ऐसे छात्र-निवास के प्रबंध-प्राधिकारी को, ऐसा अध्यावेदन, जैसा कि वह उचित समझे, करने का अवसर दिये बिना नहीं की जायगी।

43. विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश

(1) विद्यार्थी उपाधि संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि उन्हें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा या कोई ऐसी परीक्षा जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार उसके समतुल्य मान्य की गई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो तथा जब तक कि वे ऐसी और अर्हताएँ न रखते हों जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जायें तथा जब तक कि वे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में नामांकित न कर लिये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय ⁷⁴ [आयुक्त उच्च शिक्षा आयोग] की पूर्व मंजूरी से, उपाधि संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी भी उपाधि को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो, अपनी उपाधि के समतुल्य होना या किसी अन्य परीक्षा का मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा के समतुल्य होना मान्य कर सकेगा।

(3) किसी भी विद्यार्थी को, उपाधि तक पहुँचाने वाले पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह किसी महाविद्यालय, अध्यापन विभाग या प्राध्ययन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र में विद्यार्थी के रूप में नामांकित न कर लिया हो :

परन्तु—

(एक) विज्ञान-संकाय में स्नातक उपाधि या विज्ञान संकाय में गणित में की अधिस्नातक उपाधि तक,

(दो) कला-संकाय, समाज विज्ञान संकाय या वाणिज्य-संकाय में की किसी उपाधि तक,

(तीन) धारा 6 के खंड (10) के तृतीय परन्तुक के अधीन अधिसूचना द्वारा अनुज्ञात स्त्री विद्यार्थी की दशा में विधि-संकाय में की स्नातक की उपाधि तक,

(चार) ⁷⁵[गृह विज्ञान संकाय में की स्नातक की उपाधि तक] पहुँचाने वाले किसी पाठ्यक्रम में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायगा। चाहे ऐसा विद्यार्थी किसी महाविद्यालय, अध्यापन-विभाग या प्राध्ययन-केन्द्र के विद्यार्थी के रूप में नामांकित हो या न हो।

(4) वे विद्यार्थी, जो किसी महाविद्यालय, अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के सदस्यों के रूप में नामांकित न हों, विश्वविद्यालय के अमहाविद्यालयीन विद्यार्थी होंगे।

44. परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति

(1) परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक(माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किये जायेंगे जिसमें कि निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(एक) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो उस समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित अध्ययन-बोर्ड का अध्यक्ष;

(तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिये कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा।

(2) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाय, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिये परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

45. महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट

(1) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टें, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी देगा जैसी कि कार्य परिषद् विद्या परिषद् की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात्-महाविद्यालय या संस्था की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिये अपेक्षित करे।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा, जो कि कार्य परिषद् द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो/किये गये हों, ऐसे महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण करवायेगी।

(3) कार्य परिषद् ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्था से, जिसका इस प्रकार निरीक्षण किया गया हो, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने के लिये अपेक्षा कर सकेगी जैसी कि उसे आवश्यक प्रतीत हो।

46. (1) ⁷⁶रजिस्ट्रीकृत स्नातक

निम्नलिखित व्यक्ति, ऐसे फीस का संदाय करने पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर में, जो कि ऐसे प्ररूप में रखा जायगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, अपने नाम अंकित कराने के हकदार होंगे-

(क) विश्वविद्यालय का कोई स्नातक;

(ख) भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय का कोई स्नातक जिसे स्नातक हुए कम से कम तीन वर्ष हो गये हों और जो विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा हो :

परन्तु धारा 3 के अधीन निरसित की गई अधिनियमितियों के अधीन एक से अधिक विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया कोई स्नातक, धारा 1 की उपधारा(3) के अधीन नियत की गई तारीख से छः मास की कालावधि के भीतर, उन विश्वविद्यालयों में से, जिनके कि संबंध में वह ऊपर के खंड (क) या (ख) में अधिकथित शर्तें पूरी करता हो, किसी एक विश्वविद्यालय के कुलसचिव के समक्ष दाखिल की गई घोणषा द्वारा जो कि ऐसे प्ररूप में होगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, ऐसे विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने के लिये अपने विकल्प का प्रयोग करेगा और ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर वह उन समस्त अन्य विश्वविद्यालयों का, जिनका कि वह पूर्ववर्णित तारीख के पूर्व रजिस्ट्रीकृत स्नातक था, रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं रह जायगा :

परन्तु यदि कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत स्नातक पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहे, तो वह धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गई तारीख से छः मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर उन समस्त विश्वविद्यालयों का, जिनका कि वह ऐसी तारीख के पूर्व रजिस्ट्रीकृत स्नातक था, रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं रह जायेगा।

⁷⁷[(2)इस तथ्य के होते हुए भी कि उपधारा (1) के परन्तुकों में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो गया है, कुलाधिपति, यदि उसकी यह राय हो कि किसी विश्वविद्यालय के संबंध में ऐसा करना आवश्यक है, आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उक्त कालावधि उस विश्वविद्यालय के संबंध में पूर्वोक्त कालावधि के अवसान की तारीख से छः मास की और कालावधि तक के लिये बढ़ जायगी और तदुपरि उक्त परन्तुकों में छः मास की कालावधि के प्रति निर्देश उस विश्वविद्यालय के संबंध में इस प्रकार पढ़ा जायगा तथा उसका इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा जैसे कि वह इस प्रकार बढ़ाई गई कालावधि के प्रति निर्देश है।

आठवाँ अध्याय – संपरीक्षा

47. वार्षिक रिपोर्ट

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायगी और सभा को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व भेजी जायेगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, और उस पर सभा द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जायगा। सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी। और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकेगी।

⁷⁸["तत्पश्चात् विश्वविद्यालय वार्षिक रिपोर्ट एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार यथासाध्य शीघ्र उसे राज्य विधान सभा के पटल पर रखवायेगी"].

48. लेखाओं की संपरीक्षा

(1) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अन्तरालों पर की जायगी जो पन्द्रह मास से अधिक के न हों।

⁷⁹["(2) संपरीक्षा किये गये लेखाओं की और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति कार्य परिषद द्वारा सभा का, ⁸⁰[आयुक्त उच्च शिक्षा] को और राज्य सरकार को भेजी जायेगी। राज्य सरकार यथासाध्य शीघ्र उसे राज्य विधान सभा के पटल पर रखवायेगी।"]

नवां-अध्याय

विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

49. अध्यापन पदों पर नियुक्ति

(1) कोई भी व्यक्ति-

(एक) आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या प्राध्यापक के रूप में; या

(दो) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यापन पद पर, जिसका कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो,

उपधारा (2) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्ति किया जायगा अन्यथा नहीं :

परन्तु यदि पूर्वोक्त अध्यापन-पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के, तीस मास से अधिक काल तक चालू रहने की प्रत्याशा न हो और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के उपाय के बिना उसमें विलम्ब न किया जा सकता हो, तो कार्यपरिषद् उपधारा (2) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति को, प्रवरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय उसी पद पर तीन मास से अधिक की कालावधि के लिये नहीं रखा जायगा या विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा।

(2) प्रवरण - समिति के निम्नलिखित सदस्य होंग:-

(एक) कुलपति - अध्यक्ष;

⁸¹[(एक-क) विलोपित];

⁸²[(दो) विलोपित];

⁸²[(तीन)विद्या-परिषद् द्वारा प्रस्तुत विषय के तीन विशेषज्ञों के पेनल में से एक विशेषज्ञ, जो किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा";]

⁸³["(चार) तीन विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से संसक्त न हों, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये जाएंगे"]

^{83-अ}परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक विशेषज्ञ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। इन प्रवर्गों में से किसी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की दशा में, एक प्रशासनिक अधिकारी को जो आयुक्त की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो और जो आरक्षित प्रवर्गों का हो, नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

⁸³["(पांच)[विलोपित]

⁸³[(3)प्रवर समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी";]

[(4) समिति विभिन्न अभ्यर्थियों के गुणागुण का अन्वेषण करेगी और गुणानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कार्य परिषद् को उन व्यक्तियों के नामों की, यदि कोई हो, जिन्हें वह पदों के लिये उपयुक्त समझती हो, सिफारिश करेगी।

⁸⁴["परन्तु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उस सम्मिलन में जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाना है, उपधारा (2) के खंड (तीन) तथा(चार) के अधीन नामनिर्देशित किये गये कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों"]।

⁸⁵[(5) कार्य परिषद् उपधारा (4) के अधीन इस प्रकार सिफारिश किये गये नामों से व्यक्तियों की नियुक्ति गुणानुक्रम के अनुसार करेगी:]
परन्तु जहाँ कार्यपरिषद् समिति द्वारा लगाकर रखे गये गुणानुक्रम के अनुसार नियुक्ति न करके अन्यथा नियुक्ति करना प्रस्थापित करती हो, वहाँ कार्य परिषद् अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगी और अपनी प्रस्थापना कुलाधिपति को मंजूरी के लिये प्रस्तुत करेगी।

⁸⁶ 49— क. अध्यापकों की पदोन्नति—(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी धारा 49 के अधीन मूल रूप से नियुक्त किये गये विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को, जिसने ऐसी अवधि का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है और जो ऐसी अर्हताएँ रखता है जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा तैयार की गई पदोन्नति स्कीम में विहित किया गया है और जिसे राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी।

(2) ऐसी पदोन्नतियाँ धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दी जायेगी जैसा कि पदोन्नति स्कीमों में या विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये अध्यादेशों में विहित किया गया है।

- (3) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात धारा 49 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
- (4) पदोन्नति के लिये उच्चतर पद के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह निम्नतर पद के उन्नत हो जाने से स्वतः सृजित हो गया है और ऐसा पद संवर्ग (काडर) पद होगा :
- परन्तु उच्चतर पद उस दशा में स्वतः निम्नतर पद में संपरिवर्तित हो जायेगा जब उच्चतर पद ग्रहण करने वाला पदधारी अपना उच्चतर पद रिक्त कर देता है।")

50. उन अध्यापकों का वेतन जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो—

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के जिन्हें कि विश्वविद्यालयों द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतन का संदाय उन वेतनमानों के अनुसार होगा, जो कार्यपरिषद् द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियत किये गये हों।

दसवाँ अध्याय – आपात उपबंध

51. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी

- (1) यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अधधीन होगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिये जैसी कि वह उचित समझे बढ़ा सकेगी, परन्तु प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार उस सीमा तक रहेगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे कि वह (विश्वविद्यालय) वित्तीय औचित्य के ऐसे नियमों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट हों, अनुपालन करें और ऐसे अन्य निर्देश दे जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिये आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।
- (4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्देश के अन्तर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा ..

- (एक) जिसमें यह अपेक्षा की जाय कि बजट मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाय;
- (दो) जिसमें विश्वविद्यालय ये यह अपेक्षा की जाय कि वह प्रत्येक ऐसी प्रस्थापना जिसमें वित्तीय विवक्षाएँ अन्तर्वलित होती हों, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को, प्रस्तुत करे;
- (तीन) जिसमें यह अपेक्षा की जाय कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्थापना मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाय;
- (चार) जिसमें यह अपेक्षा की जाय कि विश्वविद्यालय की सेवाओं में के समस्त व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाय;
- (पांच) जिसमें यह अपेक्षा की जाय कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाय;
- (छः) जिसमें यह अपेक्षा की जाय कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को नीचा किया जाय;
- (सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय की वित्तीय दबाव कम हो जाय।
- (5) इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिये यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन दिये गये निर्देशों को कार्यान्वित करे।
- (6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये निर्देश के अनुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या सम्पत्ति के दुरुपयोजन के लिये, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई, हानि सचिव मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के रूप 'में' वसूल की जायेगी :
- परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि स्पष्टीकरण देने का युक्ति-युक्त अवसर संबंधित व्यक्ति को न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

52. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपान्तरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति

- (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा या समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें

विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किये बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 13 के, धारा 14 के, धारा 20 से 25 तक के, धारा 40, 47, 48,54 तथा 67 के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये उपान्तरणों के अध्यक्षीन रहते हुए, लागू होंगे।

(2) उपधारा(1)के अधीन जारी की गई अधिसूचना(जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसी कि वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी जो कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाय।

(3) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ-साथ कुलपति को यथा-उपान्तरित धारा 13 तथा 14 के अधीन नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा :

परन्तु कुलपति, अधिसूचना से प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) नियम तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे,अर्थात् –

(एक) अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान यह अधिनियम तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये उपान्तरणों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रभावी होगा;

(दो) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किये हुए हों, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा।

(चार) विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रतिनिधि, जो धारा 54 की उपधारा खंड(1) के खंड (एक) के अधीन विद्यार्थी परामर्शी समिति में नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व हों, उक्त समिति के सदस्य नहीं रह जायेंगे;

(पांच) जब तक यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का यथा उपान्तरित उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाये तब तक कुलपति जो यथा उपान्तरित धारा 13 तथा 14 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों :

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ होंगे।

(5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथानुपान्तरित उपबंधों के अनुसार सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उसका तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाये, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी :

परन्तु यदि सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाये तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाये।

53. परिणाम जो धारा 52 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा

धारा 52 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, इस अधिनियम के उपबंध, जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपान्तरित किये गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा उसको लागू रहेंगे :

परन्तु अधिसूचना के अवसान का –

(क) यथा उपान्तरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर नहीं पड़ेगा; या

- (ख) यथा उपान्तरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपान्तरित उपबंधों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो।

ग्यारहवाँ अध्याय – विद्यार्थी परामर्शी समिति

54. विद्यार्थी परामर्शी समिति

(1) राज्य-स्तर की एक विद्यार्थी परामर्शी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) प्रत्येक विश्वविद्यालय से तीन विद्यार्थी प्रतिनिधि जो उस विश्वविद्यालय की सभा के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये गये हों, ये तीन विद्यार्थी प्रतिनिधि धारा 20 के पद (इक्कीस), (बाईस) तथा (तेईस) इन तीनों पदों में से प्रत्येक के अधीन के विद्यार्थी सदस्यों में से एक-एक होंगे :

परन्तु यदि इस पद के अधीन विद्यार्थी प्रतिनिधियों के अन्तर्गत –

(क) राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों में से कोई विद्यार्थी; या

(ख) राज्य में के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में से कोई विद्यार्थी; न आता हो, तो राज्य में के चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विद्यार्थी तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायगा :

परन्तु यह और भी कि यदि विद्यार्थी प्रतिनिधियों में दो से कम स्त्री विद्यार्थी हों, तो राज्य सरकार स्त्री विद्यार्थियों को इतनी संख्या में नामनिर्देशित करेगी जिससे उनकी संख्या दो हो जाय ;

(दो) विश्वविद्यालय के दो कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा उस क्रम में, जिसमें कि द्वितीय अनुसूची में विश्वविद्यालयों के नाम अंकित किये गये हैं बारी-बारी से नामनिर्देशित किये गये हों ;

(तीन) विश्वविद्यालयों के दो कुल सचिव जो राज्य सरकार द्वारा उस क्रम के, जो कि पद (दो) में निर्दिष्ट किया गया है, विपरीत क्रम में बारी-बारी से नामनिर्देशित किये गये हों ;

(चार) विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी कल्याण के दो संकायाध्यक्ष या ऐसे अन्य दो अधिकारी जो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी कल्याण के भारसाधक हों, जो कि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये गये हों ;

(5) ⁸⁷[उच्च शिक्षा विभाग] का शासन के उपसचिव के पद से अनिम्न पद का कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिये 'विद्यार्थी' का वही अर्थ होगा जो कि उसे धारा 20 में दिया गया है।

- (2) उपधारा (1) के पद (पांच) के अधीन नामनिर्देशित किया गया सदस्य संयोजक होगा।
- (3) समिति प्रत्येक सम्मिलन के लिये अपना अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों में से निर्वाचित करेगी।
- (4) समिति की अवधि एक वर्ष होगी और समिति के सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान के साथ होगा।
- (5) समिति को यह शक्ति होगी कि वह—
 - (क) विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा तक पहुँच;
 - (ख) सामान्य महत्व के विद्या-संबंधी कार्यक्रमों;
 - (ग) अध्यापन-कार्य तथा परीक्षाओं का आयोजन करने और तत्संबंधी कार्यक्रम बनाने;
 - (घ) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्यातिरिक्त (एक्स्ट्राकर्रक्यूलर) तथा पाठ्यानुवर्ती (को-केरीक्यूलर) क्रियाकलापों जिनके अन्तर्गत अन्य विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामेंट एवं उत्सवों का आयोजन आता है;
 - (ङ.) विश्वविद्यालय में विद्यार्थी-कल्याण के क्रियाकलापों, जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएँ आती हैं;
 - (च) विद्यार्थियों के लिये कार्य-अनुभव कार्यक्रमों;
 - (छ) विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के संगठन;
 - (ज) विद्यार्थियों के निवास तथा अनुशासन;
 - (झ) साधारणतः विद्यार्थियों के हित के किसी अन्य विषय; के संबंध में विचार-विमर्श करे तथा सिफारिश करे।
- (6) समिति –
 - (क) विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता बना सकेगी;
 - (ख) अध्यापक तथा विद्यार्थियों के संबंधों में अभिवृद्धि के उपायों की सिफारिश कर सकेगी;
 - (ग) शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों तथा प्रशासन के बीच होने वाले मतभेदों का निराकरण करने के लिये अभिकरण तथा उपायों का सुझाव दे सकेगी।
- (7) समिति ऐसे विषयों पर, जो उपधारा (5) तथा (6) के अन्तर्गत आते हैं, अपना दृष्टिकोण किसी भी विश्वविद्यालय या समस्त विश्वविद्यालयों को, जैसी भी कि आवश्यकता हो, विचारार्थ संसूचित कर सकेगी।

बारहवाँ अध्याय – अनुपूरक उपबंध

55. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद— यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत हो जाय, तो मामला कुलाधिपति को निदेशित किया जायेगा। जिसका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा :

⁸⁸["परन्तु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व कुलाधिपति स्वयं या उसके द्वारा नाम-निर्देशित किया गया कोई अधिकारी उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा"]।

स्पष्टीकरण ⁸⁹[1] इस धारा में अभिव्यक्ति "निकाय" के अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है।

⁹⁰["स्पष्टीकरण 2— इस धारा में अभिव्यक्ति "नियुक्त किया गया" के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर की गई नियुक्तियाँ नहीं की जाएँगी।"]

56. समितियों का गठन

जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहाँ उन समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

57. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियाँ यथाशक्य सुविधानुसार शीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेगी जिसने कि उस सदस्य को जिसका कि स्थान रिक्त हुआ है नाम निर्देशित नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नाम निर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी समिति या निकाय का उस अवधि के शेष काल के लिये सदस्य रहेगा जिसके लिये कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की हो, सदस्य रहा होता।

58. विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी

विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि —

(क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या

- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या
- (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो।

59. **सेवा की शर्तें**

(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक जिसे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, लिखित संविदा के अधीन, जो कि विश्वविद्यालय में रखी जायेगी, नियुक्त किया जायेगा, और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी :

⁹¹["परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी, जिनकी सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की गई हों या जिन्हे धारा 15-ग की

उपधारा (1) के अधीन सृजित की गई सेवा में नियुक्त किया गया हो"]:

⁹²["(2) सेवा संबंधी मामलों से संबंधित कोई विवाद, जो किसी विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के बीच हुई किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत होता है, कुलपति द्वारा न्यायनिर्णीत किया जायेगा और कुलपति के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील कुलपति को होगी, जो विवाद के स्वयं विनिश्चित करेगा या उसे उस प्रयोजन के लिये गठित किसी ऐसे अधिकरण को निर्देशित करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् –

(एक) किसी विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ कुलपित;

(दो) राज्य सरकार का एक वरिष्ठ सचिव ; और

⁹²(तीन) राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक वरिष्ठ प्राचार्य ।]

(3) ⁹³[विलोपित]

60. **पेंशन तथा भविष्य निधि**

(1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों अध्यापको लिपिक वर्ग के कर्मचारीवृन्द तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायँ, ऐसी पेंशन बीमा तथा भविष्य-निधि का गठन करेगा तथा ऐसे अन्य फायदे, संस्थित करेगा जिन्हें कि वह उचित समझे।

(2) हाँ कोई ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य-निधि इस प्रकार गठित की गई हो या जहां कोई पेंशन, बीमा या भविष्य-निधि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके नियमों के अधीन किसी महाविद्यालय द्वारा गठित की गई हो, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि प्रोविडेन्ट फन्डस् एक्ट, 1925 (क्रमांक 19 सन् 1925) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह सरकारी भविष्य-निधि हो।

61. **कार्यों तथा आदेशों का संरक्षण**

विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशायित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

62. **शिक्षण देने के लिये अनुमोदन**

कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में या किसी भी महाविद्यालय में,—

- (क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद्, द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हताएं न रखता हो, और
- (ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर तक, जिसके लिये विद्या-परिषद् ने उसकी अर्हताएँ अनुमोदित की हों, शिक्षण देगा, इसके सिवाय नहीं।

63. **अध्यापकों का वर्गीकरण**

- (1) "आचार्य" तथा "उपाचार्य" से अभिप्रेत है ऐसे अध्यापक, जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसे वेतनमानों पर नियुक्त किये गये हों जो कि क्रमशः आचार्य तथा उपाचार्य के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिग्रहीत किये गये वेतनमानों से कम न हों और जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किये गये वेतनमानों से अधिक हों, वहां, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये वेतनमान पर नियुक्त किये गये हों।
- (2) "अतिथि आचार्य" से अभिप्रेत है ऐसा आचार्य जो कार्य परिषद् द्वारा नियत वर्षों की अवधि के लिये आमंत्रित किया गया हो या कार्य परिषद् द्वारा, संविदा में नियत की गई अल्पावधि के लिये नियुक्त किया गया हो।
- (3) किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र में के आचार्य, अतिथि आचार्य तथा उपाचार्य से भिन्न कोई अध्यापक यदि उस वेतनमान पर नियुक्त किया गया हो जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राध्यापकों के लिये अनुमोदित किये गये वेतनमान से कम न हों, तो वह पद में प्राध्यापक के बराबर होगा।
- (4) "महाविद्यालयीन आचार्य" से अभिप्रेत है ऐसा अध्यापक, जो ऐसे वेतनमान पर नियुक्त किया गया हो जो कि वृत्तिक शिक्षा के किसी महाविद्यालय में के या किसी अन्य ऐसे महाविद्यालय में के, जो स्नातकोत्तर स्तर तक संबंधित विषय का शिक्षण देता हो, किसी आचार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये वेतनमान से कम न हो और उसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य आता है जो विद्या परिषद् को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह प्राचार्य के पद के प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त गवेषणा के संबंध में पथ प्रदर्शन करने तथा उस विषय का अध्यायन करने में लगा रहता है।

- (5) "किसी महाविद्यालय के उपाचार्य, सहायक आचार्य तथा प्राध्यापक" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो किसी संबद्ध महाविद्यालय में क्रमशः उपाचार्य, सहायक आचार्य तथा प्राध्यापक के रूप में उस वेतनमान पर नियुक्त किये गये हों जो कि किसी महाविद्यालय के यथास्थिति उपाचार्य, सहायक आचार्य तथा प्राध्यापक के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये वेतनमान से कम न हों।
- (6) कोई ऐसा अध्यापक, जो अंशकालिक या सम्मानिक आधार पर विधि संकाय में या किसी अन्य संकाय में, जहां ऐसी नियुक्ति विद्या परिषद् द्वारा अनुज्ञात हो, नियुक्त किया गया हो, पद में प्राध्यापक के बराबर होगा।

64. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य की पदावधि

- (1) जब कभी इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकारी का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता, इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल उपबंध न होने पर, परिनियमों के अनुसार अवधारित की जायगी :

परन्तु जब तक कि ऐसे परिनियम न बनाये जायें किसी विशिष्ट संवर्ग में ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में की गई निरन्तर सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों की उसी संवर्ग में की गई सेवा की अवधि एक-सी हो वहाँ "ज्येष्ठता" आयु में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जायगी।

- (2) जब कभी कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित ओहदे या पद के आधार पर या कोई विनिर्दिष्ट अर्हता रखने के आधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाय, तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसे ओहदे या पद पर न रहे या उस दशा में जबकि अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उसमें ऐसी अर्हता न रह जाय, तत्काल ही ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा;

परन्तु केवल इसी कारण से कि वह ऐसी कालावधि के लिये, जो चार मास अनधिक हो, छुट्टी पर चला गया है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि वह ओहदे या पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है।

65. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र

- (1) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का संकायाध्यक्ष कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्यागपत्र कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्त किया जाने के समय से ही प्रभावशील हो जायगा।

- (2) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिग्रहीत कर लिया जाय जो कि रिक्ति को भरने के लिये सक्षम हो।

66. प्राधिकारी का सदस्य होने के लिये निरर्हता

(1) कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिये या होने के लिये निरर्हित होगा—

- (क) यदि वह विकृत चित्त का हो;
 - (ख) यदि वह बहरा हो, मूक हो, या किसी सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो;
 - (ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो;
 - (घ) यदि वह किसी विधि-न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्वलित हो, और उसके संबंध में, कारावास से, जो छः मास से कम का न हो, दण्डित किया गया हो।
- (2) यदि इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति, उपधारा (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अधीन है या रहा था, कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो वह प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायगा और उस पर उसका (कुलाधिपति का) विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी विधि-न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

67. स्नातको के रजिस्टर में से या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय में से किसी सदस्य को हटाने की शक्ति

(1) कुलाधिपति, कार्य परिषद् के निवेदन पर, किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातकों के रजिस्टर में से हटा सकेगा और किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता पर से हटा सकेगा, यदि वह—

- (एक) घोर कदाचार का दोषी हो, या
- (दो) ऐसा कार्य करता हो जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो :

परन्तु कुलाधिपति, प्रारंभिक जांच करवायेगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह यथास्थिति ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातक या किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्य पर लिखित आरोप-पत्र की तामिल करेगा, जिसमें यथास्थिति कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का विवरण रहेगा।

- (2) आरोप-पत्र के उत्तर पर, जो कि उसके पास यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्नातक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य द्वारा उपधारा (1) के अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति, यदि वह यह समझता है कि आगे की कार्यवाही आवश्यक है, जांच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें कुलाधिपति का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, कार्य परिषद् का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य जैसी भी कि दशा हो, या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा।

(3) अधिकरण यथास्थिति अभियुक्त, रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, तथा ऐसे साक्ष्य की, जो कि आवश्यक हो, परीक्षा करने के पश्चात्, अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उसे कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा।

(4) कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अन्तिम आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे:

परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया गया जायेगा जब तक यथास्थिति अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध प्रस्थापित कार्यवाही क्यों न की जाय।

⁹⁴[(5) उपधारा (1) से (4) तब के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के हित में यह समीचीन नहीं है कि उसके द्वारा नामनिर्देशित किये गये किसी सदस्य को हटाये जाने के पूर्व ऐसी जांच की जाये और उसे कोई कारण दर्शाने की सूचना जारी की जाये या उसे सुनवाई का अवसर दिया जाय।

68. कठिनाइयों का निराकरण

यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुर्नगठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, अवसर द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कि कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

⁹⁵[69. इस अधिनियम का 1 जनवरी, 1983 के पश्चात् स्थापित किये गये या उसके पश्चात् किसी भी समय स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय को उसके लागू होने के संबंध में उपान्तरण

इस अधिनियम के उपबंध-1 जनवरी, 1983 के पश्चात् स्थापित किये गये या उसके पश्चात् किसी भी समय स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय को उसके लागू होने के संबंध में, चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरण के अध्यक्षीन होंगे:

परन्तु मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारंभ के पूर्व, धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (तीन) के अधीन निर्वाचित व्यक्ति, कार्यपरिषद् के सदस्यों के रूप में अपने पद, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरण के होते हुए भी, अपनी पदावधि का अवसान होने तक धारण किये रहेंगे।]

प्रथम अनुसूची
(धारा 2 (एक) देखिए)
निरसित अधिनियमितियाँ

1. युनीवर्सिटी आफ सागर एक्ट, 1946 (क्रमांक 16 सन् 1946),
2. मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय विधान, 1955 (क्रमांक 18 सन् 1955),
3. जबलपुर युनीवर्सिटी एक्ट, 1956 (क्रमांक 22 सन् 1956),
4. रविशंकर युनीवर्सिटी एक्ट, 1963 (क्रमांक 13 सन् 1963),
5. इन्दौर युनीवर्सिटी एक्ट, 1963 (क्रमांक 14 सन् 1963),
6. जीवाजी युनीवर्सिटी एक्ट, 1963 (क्रमांक 15 सन् 1963),
7. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 1968 (क्रमांक 22 सन् 1968),
8. भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (क्रमांक 28 सन् 1970)।

द्वितीय अनुसूची
[धारा 2 (दो) देखिए]

विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक अधिकारिता
1	2	3
		वे क्षेत्र जो निम्नलिखित राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं :-
डा. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय	सागर	बालाघाट, छिन्दवाडा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, दमोह, मंडला, पूर्वी निमाड़, बैतूल तथा होशंगाबाद।
विक्रम विश्वविद्यालय	उज्जैन	रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, देवास, धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, राजगढ़ तथा शाजापुर।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पंडित ⁹⁶ [पं.रविशंकर शुक्ल] विश्वविद्यालय	जबलपुर रायपुर	जबलपुर। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, तथा सरगुजा।
देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय	इन्दौर	इन्दौर।
जीवाजी विश्वविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना तथा दतिया।
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, छतरपुर, पन्ना, तथा टीकमगढ़।
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन तथा विदिशा।

टिप्पणी

रविशंकर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में उसके द्वारा जारी किये गये आदेश नियम, उपनियम, स्टेच्यूट्स, अध्यादेश, विनियमन प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य कोई

दस्तावेज मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रभावशील होने के पूर्व जो पूर्वर्तनीय थे, उक्त सभी की रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के बजाय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कार्य अर्थान्वयन किया जावे। उक्त आशय का संशोधन अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रकट किया गया है।

तृतीय अनुसूची
(धारा (52) देखिए)

1. धारा 13 तथा 14— धारा 13 तथा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय—

."13. कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और वह कुलाधिपति, कुलपति द्वारा उसी रीति में हटाया जा सकेगा।"

2. धारा 20, 21, 22 तथा 23— धारा 20, 21, 22 तथा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ स्थापित की जाएँ:—

"20. सभा का गठन — (1) सभा (कोर्ट) में निम्नलिखित होंगे—

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

97[(दो-क) कुलाधि सचिव]

(तीन) विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर के नगरपालिक निगम का महापौर या विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर की नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष, जैसी भी कि दशा हो ;

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन ⁹⁸[उच्च शिक्षा विभाग];

(पांच) उस संभाग का, जिसमें विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित हो, आयुक्त;

(छः) उस जिले का, जिसमें विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित हो, कलेक्टर;

(सात) सभापति, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश;

(आठ) विद्यार्थियों के अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए दस सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(नौ) दो सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे ;

(दस) विधान सभा के तीन प्रतिनिधि जो विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और जो ऐसे निर्वाचन के लम्बित रहने तक अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के खंड (आठ) के अधीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर सभा के अन्य समस्त सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि, धारा 52 के अधीन जारी की गई असिसूचना प्रवर्तित रहे और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से एक वर्ष या अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की

कालावधि का अवसान होने तक, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, होगी।

स्पष्टीकरण – उपधारा (1) के खंड (आठ) के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति "विद्यार्थी" का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति को धारा 28 की उपधारा (2) में दिया गया है।

21. (1) सभा का सम्मिलन वर्ष में एक बार, कुलापति द्वारा नियत की गई सभा का सम्मिलन तारीख होगा, जो सभा का वार्षिक सम्मिलन कहलायेगा।

(2) कुलपति, जब कभी भी वह उचित समझे यथासंभव शीघ्र, सभा का विशेष सम्मिलन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यक्षता पर यथासंभव शीघ्र सभा का विशेष सम्मिलन बुलायेगा।

(3) सभा के सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

22. **सभा का कार्य:**— सभा एक सलाहकार निकाय होगी और वह—

(क) राज्य सरकार को ऐसे विषयों के संबंध में सलाह देगी जो सलाह के लिये उसे (सभा को) निर्देशित किये जायँ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को, ऐसे विषयों के संबंध में सलाह देगी जो ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा उसे (सभा को) निर्देशित किये जायँ;

(ग) कार्यपरिषद् की सिफारिश पर उपाधियों, उपाधिपत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करेगी;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा या उनके अधीन या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी/सौंपे जायँ।

23. **कार्य परिषद्**— (1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें केवल निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति।

⁹⁹[(एक-क)कुलाधि-सचिव]।

(दो) छः सदस्य जो प्रख्यात लोक व्यक्तियों तथा शिक्षाविदों में से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(2) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि, धारा 52 के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे।

(3) कार्यपरिषद् के चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी।"

3. धारा 24— धारा 24 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः क्रमांकित की गई उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायः—

"(2) कार्यपरिषद्, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने में, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहेगी।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट बात के होते हुए भी, वार्षिक लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायगा जो अपने विचार कार्यपरिषद् को संसूचित कर सकेगी जो (कार्यपरिषद्) उन पर विचार करेगी तथा उनके संबंध में ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी कि वह उचित समझे और जब कोई कार्यवाही न की गई हो, उसके लिये अपने कारण राज्य सरकार को सूचित करेगी।"

4. धारा 25— धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय—

"**25. विद्या-परिषद्**— (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्ः—

(एक) कुलपति,

¹⁰⁰[(एक -क) कुलाधि सचिव,

(दो) ¹⁰¹[आयुक्त उच्च शिक्षा],

(तीन) सभापति, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश,

(चार) दो सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे,

(पांच) महाविद्यालयों के दस प्राचार्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे,

(छः) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों के अध्यक्ष,

(सात) ऊपर (चार) तथा (पांच) में वर्णित अध्यापकों से भिन्न पांच अध्यापक जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(2) विद्या-परिषद् के नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि, धारा, 52 के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे

(3) विद्या-परिषद् के दस सदस्यों से गणपूर्ति होगी।"

5. धारा 40 — धारा 40 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय—

"(3) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, कार्यपरिषद् किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी भी विनियम को उपान्तरित या बातिल कर सकेगी।"

4. धारा 47— धारा 47 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये—

"**47. वार्षिक रिपोर्ट**— विश्वविद्यालय की वार्षिक कार्यपरिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जायगी और राज्य सरकार को ऐसे तारीख को या उसके पूर्व भेजी जायेगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय।"

7. धारा 48— धारा 48 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाये— “(2) लेखे,जब कि उनकी संपरीक्षा कर ली जाये, राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और संपरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक-एक प्रति कार्यपरिषद् द्वारा ¹⁰²[आयुक्त उच्च शिक्षा] तथा राज्य सरकार को भेजी जायेगी।”

8.धारा 54— धारा 54 की उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये:—

“ परन्तु यह भी कि यदि किसी विश्वविद्यालय के संबंध में धारा 52 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, तो ऐसी अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान वे विद्यार्थी प्रतिनिधि, जो प्रवर्तन की ऐसी कालावधि के दौरान ऐसे विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) में हों, समिति के सदस्य होंगे। ”

9. धारा 67— धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये:—

67. विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना— कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी भी व्यक्ति को, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे गम्भीर अपराध का, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दोषी हो या यदि वह कलंककात्मक आचरण का दोषी रहा हो, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से हटा सकेगा और उन्हीं कारणों से किसी भी उपाधि या उपाधि पत्र का, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई हो या दिया गया हो, प्रत्याहरण कर सकेगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।”

चतुर्थ अनुसूची (धारा 69 देखिए)

धारा 23 का संशोधन — धारा 23 में,—

(एक) उपधारा (1) में से,—

(क) खंड (तीन) का लोप किया जाये;

(ख) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाये; और

(दो) उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाये”

8. भोपाल विश्वविद्यालय के प्रति निदेशों का अर्थान्वयन— किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी या अन्यथा जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं, किये गये आदेशों, बनाये गये नियमों, उपविधियों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, विहित प्रमाण पत्रों, उपाधियों, उपाधिपत्रों या किन्ही भी अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार

अर्थान्वयन किया जायेगा मानो उनमें भोपाल विश्वविद्यालय के प्रति किये गये निर्देश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हों।

62. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा स्थापित किया गया।
63. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
64. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1996 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।
65. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1996 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।
66. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया।
67. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
68. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
69. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया।
70. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा स्थापित किया गया।
71. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा लोप किया गया।
72. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
73. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 16 द्वारा स्थापित किया गया।
74. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
75. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा संशोधित किया गया।
76. अधिसूचना क्रमांक-6686-एफ-1(B)-186-74XXI, दिनांक 30.03.1974 द्वारा क्रमांकित।
77. अधिसूचना क्रमांक-6686-एफ-1(B)-186-74XXI, दिनांक 30.03.1974 द्वारा संशोधित।
78. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 17 द्वारा जोड़ा गया गया।
79. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 18 द्वारा स्थापित की गई।
80. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
81. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 19 की उपधारा (एक) (क) द्वारा लोप किया।
82. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 19 की उपधारा (एक) (क) द्वारा लोप किया।
83. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित / विलोपित।
- 83-अ. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा स्थापित।
84. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
85. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 19 की उपधारा (4) द्वारा स्थापित किया गया।
86. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1996 की धारा 5 द्वारा जोड़ी गई।
87. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
88. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
89. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 20 द्वारा पुनर्क्रमांकित किया गया।

90. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1991 की धारा 20 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।
91. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा स्थापित किया गया।
92. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (एक) द्वारा स्थापित किया गया।
93. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (दो) द्वारा लोप किया।
94. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया।
95. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित।
96. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।[1992 एम.पी.एल.जे.19(IV)]
97. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1986 द्वारा जोड़ा गया।
98. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम,क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
99. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया।
100. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया।
101. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम,क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
102. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम,क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।
- ** मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्रमांक 43 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित